

राष्ट्र, राज्य तथा संप्रभुता : राजनीति विज्ञान के संदर्भ में

Nation, State and Sovereignty : In the Context of Political Science

-: Author :-

**Ambuj Kumar Mishra
Genius Coaching Institute,
Katihar.**

यह पुस्तक प्राथमिक स्रोत के रूप में लिखी गई है
तथा शोधकर्त्ताओं को समर्पित है।

Email:- ambujkumarmishra2020@gmail.com

© कापीराइट सुरक्षित

Mobile No-8873904651

राष्ट्र, राज्य तथा संप्रभुता : राजनीति विज्ञान के संदर्भ में

यह लेखन अनेक वर्तमान राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास है। यह अवधारणात्मक त्रुटियों को सही करने का एक विनम्र प्रयास है क्योंकि ये त्रुटियाँ विध्वंसात्मक निष्कर्षों की ओर ले जाती हैं। राजनीति विज्ञान उसी स्थिति में विज्ञान हो सकता है जब परिभाषाएँ मनमानी ना हो। सही विशेषताएँ लिखी जाए तभी परिणाम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यह विज्ञान ही है क्योंकि समीकरण से अनुमानित परिणाम ही सामने आ रहे हैं।

समस्या :-

एक बहुल राष्ट्र-राज्य भारत में स्वतंत्रतापूर्व तथा स्वतंत्रता पश्चात् अनेक राजनेताओं तथा विद्वानों का उद्देश्य एक सफल राज्य निर्माण की रही है। इसके लिए सुविधानुसार तथा मनमाने ढंग से परिभाषाएँ गढ़ी गई हैं। लेकिन यथार्थ में इतिहास तथा राजनीति अपनी गति ही चलते रहते हैं तथा अब मूल प्रवृत्तियाँ प्रकट हो गई हैं।

लेखन का कारण :- किसी भी विषय पर लेखन का महत्व तब होता है जब वह प्रासंगिक हो। यदि प्रश्नों का समाधान नहीं होता हो, विचारों में संगतता नहीं हो तो इसका सामान्य अर्थ है कि प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है तथा संपूर्ण लेखन, सारी विवेचना केवल पाण्डित्य या **Scholarism** है।

शोधकर्ता की स्थिति :-

शोधकर्ता का उद्देश्य केवल सत्य का उद्घाटन करना होता है या सत्य का पुष्टिकरण करना होता है। शोधकर्ता तथा लेखक पूर्णतः निरपेक्ष रहता है।

उद्देश्य :

यह लेखन निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर ढूँढ़ता है—

1. संप्रभुता की अवधारणा के राज्य तथा राज्येत्तर और राष्ट्र तथा उपराष्ट्र की अवधारणा को स्पष्ट करता है।
2. भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रकृति को स्पष्ट करता है।
3. 1857 की क्रांति की प्रकृति का विश्लेषण।

4. धन की निकासी का दादा भाई नौरोजी का सिद्धांत राज्य से संबंधित है राष्ट्र से नहीं।
5. भक्ति आन्दोलन :- प्रकृति, उत्पत्ति
6. महाराणा प्रताप तथा अकबर के संदर्भ में वर्तमान बहस लोकपक्ष तथा राज्य पक्ष का विश्लेषण।
7. प्राचीनकाल में विदेशी आक्रांता भारतीय समाज में क्यों घुल मिल गए जबकि बाद में आनेवाले मुस्लिम आक्रांता नहीं घुले मिले।
8. अफगानिस्तान में अंग्रेज, सोवियत संघ तथा अब संयुक्त राज्य अमेरिका की क्यों हार हुई ?
अफगानिस्तान में ये सभी अंततः विफल क्यों हुए ?
अफगानिस्तान में तालिबान की जीत क्यों हुई ?
अफगानिस्तान में तालिबान क्यों पुनः स्थापित होने में सफल रहा ?
9. कुछ देशों की सीमाएँ क्यों आपस में खुली होती हैं ?
10. कश्मीर समस्या
11. धर्मान्तरण : स्वरूप, परिणाम
12. लव जिहाद
13. विनायक दामोदर सावरकर का बौद्धिक विकास
14. गोलवरकर का नकारात्मक हिन्दुत्व तथा सकारात्मक हिन्दुत्व
15. अप्रवासी, शरणार्थी, घुसपैठिया, यदि भिन्न राष्ट्र से संबंधित हैं तो किसी देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति पर उनका प्रभाव।
ये किस प्रकार किसी देश की राजनीति पर प्रभाव डालते हैं तथा किस प्रकार किसी देश की राजनीति में परिवर्तन लाते हैं ?
16. कनाडा का भारत के किसान आन्दोलन को समर्थन (2020-21)
17. साम्प्रदायिक दंगे की प्रकृति
18. गांधी तथा टैगोर का राष्ट्रवाद
19. हिन्दु तथा सॉफ्ट हिन्दुत्व

20. फ्रांसीसी क्रांति का स्वरूप: यह राज्य से संबंधित है राष्ट्र से नहीं।
21. भारतीय इतिहासकारों का राष्ट्र संबंधी विचार फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित है।
फ्रांसीसी क्रांति से ही अधिकांश इतिहासकारों ने राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद की परिभाषा ग्रहण की है।
22. 1892 के विवाह अधिनियम का बालगंगाधर तिलक द्वारा विरोध : स्वरूप।
23. तीन तलाक
24. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड All India Muslim Personal Law board.
25. विश्व हिन्दु परिषद, बजरंग दल
26. जमायते इस्लामी
27. राष्ट्र का गुण समामेलन है तथा राज्य का गुण उपनिवेशवाद है।
28. कार्ल मार्क्स का इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत राज्य का सिद्धांत है।
यह राष्ट्र का सिद्धांत नहीं है। राज्य का इतिहास भिन्न होता है तथा राष्ट्र का इतिहास भिन्न होता है।
29. राज्य से संबंधित आतंकवाद तथा राष्ट्र से संबंधित आतंकवाद।
30. कश्मीरी पंडितों का पलायन
31. भारत आने वाले पाकिस्तान तथा बांग्लादेश तथा पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी राष्ट्रभक्त हैं या नहीं।

समस्या :

राष्ट्र तथा राज्य दोनों ही राजनीति विज्ञान की प्रमुख अवधारणाएँ हैं। सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों जैसे इतिहास में भी राष्ट्र तथा राज्य की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। दिन-प्रतिदिन के राजनीतिक बहसों में तथा अन्य विषयों में राष्ट्र तथा राज्य इन दोनों अवधारणात्मक शब्दावलियों का धड़ल्ले से प्रयोग होता है तथा भ्रामक रूप से इनका प्रयोग एक-दूसरे के पर्यायवाची के रूप में होता है। इससे अवधारणात्मक समस्या उत्पन्न होती है। दोनों भिन्न पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में सुविधानुसार तथा राजनीतिक आवश्यकतानुसार मानकीकरण के रूप में तथा राज्य के संदर्भ में अधिकांशतया तथा अज्ञानतावश किया जा रहा है।

वस्तुस्थिति :-

राजनीति विज्ञान में राष्ट्र तथा राज्य दोनों ही एक दूसरे से भिन्न शब्दावलियाँ हैं। दोनों की ही अपनी-अपनी विशेषताएँ, पृष्ठ भूमि तथा विकासात्मक इतिहास है।

राष्ट्र या Nation

प्रारंभिक रूप से तथा स्वरूप में राष्ट्र का संबंध धर्म तथा संस्कृति से है। राष्ट्रवाद का संबंध राष्ट्र से है न कि राज्य से। एक राष्ट्र का अपना झंडा, अपना गीत तथा अपना इतिहास होता है। राज्य विहीन राष्ट्र संभव है इसका अर्थ है कि एक ऐसा राष्ट्र संभव है जिसके पास अपनी भूमि न हो। संभव है कि किसी विशेष राष्ट्र के लोग अलग-अलग देशों में रहते हों। भूमि किसी राष्ट्र की आवश्यक विशेषता नहीं है लेकिन भूमि की प्राप्ति का प्रयास उसकी विशेषता अवश्य है। हिन्दू, यहूदी, ईसाई, मुस्लिम तथा ऐसे ही अन्य स्वयं में एक राष्ट्र हैं तथा इनके अनुयायी अपने राष्ट्र के सदस्य होते हैं।

राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता के स्रोत :-

धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक विचारक, मदरसा, चर्च, ईसाई मिशनरीज, धार्मिक शिक्षण संस्थान राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता से संबंधित स्रोत हैं।

राष्ट्र का आवश्यक गुण :-

1. अविभाज्यता — राष्ट्र एक अखंड इकाई होता है। यह अविभाज्य होता है।
2. संप्रभुता — राष्ट्र संप्रभु होता है।
राष्ट्र की अपनी संप्रभुता होती है।
3. प्रत्यक्ष सदस्यता — प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र का एक अंग होता है तथा अन्य सदस्य के समान माना जाता है।
4. विदेशनीति या परराष्ट्रनीति—
राष्ट्र की अपनी विदेश नीति या परराष्ट्र नीति होती है।
जैसे—हिन्दू की, मुस्लिम की, ईसाई की, यहूदी की अपनी परराष्ट्र नीति होती है।
5. राष्ट्र का गुण समामेलन है।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बनाम हर्डर

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग वर्तमान राजनीति में अत्यधिक प्रचलित है लेकिन राष्ट्रवाद में सांस्कृतिक विशेषता पहले से निहित है। अतः शब्दों का दुहराव अनावश्यक है। यह हर्डर के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से भिन्न है।

राज्य : State :-

राज्य एक पूर्णतः भिन्न अवधारणा है।

राज्य की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. जनसंख्या
2. भूमि
3. सरकार तथा
4. संप्रभुता

राज्य की जनसंख्या का स्वरूप :-

किसी राज्य में किस प्रकार की जनसंख्या निवास करती है इससे कोई मतलब नहीं है। यह राज्य की विशेषता नहीं है। किसी राज्य की जनसंख्या की संरचना धार्मिक, गैर-धार्मिक, एकल सांस्कृतिक, बहुल सांस्कृतिक, कुछ भी हो सकती है। राज्य की उत्पत्ति का अपना सिद्धांत है जैसे —

1. दैवी सिद्धांत
2. सामाजिक समझौता सिद्धांत
3. विकासवादी सिद्धांत इत्यादि।

समाजवाद, मार्क्सवाद, हीगेलवाद, फासीवाद, इत्यादि ये सभी राज्य के सिद्धांत हैं या राज्य से संबंधित हैं। ये सिद्धांत राष्ट्र के सिद्धांत नहीं हैं। दैवी सिद्धांत राष्ट्र तथा राज्य दोनों से संबंधित है। राज्य की अपनी विदेशनीति होती है अर्थात् परराज्यनीति या परराज्य संबंध अर्थात् अन्य राज्यों के साथ राज्य का संबंध होता है। देशभक्ति या **Partriotism** राष्ट्रवाद या **Nationalism** से भिन्न है।

Civic Nationalism वस्तुतः राज्य का सिद्धांत है। नागरिकता राज्य का तत्व है राष्ट्र का नहीं। इसलिए इसका सही शब्द है **Civic Statism** या नागरिक राज्यवाद अर्थात् नागरिकता की विशेषता वाला राज्य।

संप्रभुता का सिद्धांत Theory of Sovereignty—

राज्य का विशिष्ट गुण संप्रभुता है। मैकियावेली, जीन बोदाँ, हॉब्स, लॉक, रूसो, ऑस्टिन, मेकाइवर जैसे विचारकों ने राज्य की संप्रभुता के तत्व की विवेचना की है। आधुनिक राज्यों का उदय विशेषकर 1648 ई० में यूरोप में वेस्टफेलिया की संधि से होता है। लोकतंत्र में राज्य की संप्रभुता लोगों में निहित होती है जिसे लोकप्रिय संप्रभुता कहा जाता है। इसी प्रकार राष्ट्र की भी संप्रभुता या **Sovereignty** होती है। राष्ट्रवाद में राष्ट्र की संप्रभुता राष्ट्र में ही निहित होती है। यह धर्म तथा संस्कृति में निहित होती है एवं इस धर्म-संस्कृति को मानने वाले इस संप्रभुता का वहन करते हैं। जब कोई देश या राज्य किसी अन्य देश के द्वारा जीता जाता है तो वह केवल राज्य पर विजय प्राप्त करता है तथा इससे केवल राज्य की संप्रभुता का हरण होता है। आधुनिक काल में अंग्रेजों के विरुद्ध भारत का स्वतंत्रता संग्राम का अधिकांश भाग राज्य की संप्रभुता की पुनर्स्थापना का संघर्ष है। लेकिन राज्य की प्रभुसत्ता के हरण के बावजूद राष्ट्र अविजित रहता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्र द्वारा विरोधी राष्ट्र के रूप में संघर्ष होता है या ऐसी स्थिति में राष्ट्र विरोधी विजयी राष्ट्र-राज्य से संघर्ष करता है। राज्य की भांति राष्ट्र की सत्ता भी संपूर्ण समूह पर या अपने समुदाय के सदस्यों पर होती है, तथा राष्ट्र भी बाह्य दृष्टि से अपने जैसे समूह से बराबरी का व्यवहार करता है। यदि राज्य पर अन्य समूह या अन्य राज्य का अधिकार हो जाता है तो ये राष्ट्र राज्य में तो बने रहते हैं या बाहर निष्कासित हो जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण यहूदी हैं। लेकिन प्रत्येक स्थिति में इनकी स्थिति स्वतंत्र होती है। ये राज्य के अन्दर ही पुनः राष्ट्र-राज्य की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष करते हैं। वास्तविक प्रतिरोध इसी राष्ट्र का ही होता है। ये पराजय के कारणों को जानकर अपने अंदर सुधार करते हैं। यदि आक्रमणकारी राष्ट्र विजित राष्ट्र को अपने में समाहित कर लेता है तो राष्ट्र का संघर्ष समाप्त हो जाता है तथा एकल राष्ट्र-राज्य का निर्माण हो जाता है।

उदाहरण :-

1. ईरान में इस्लामिक राष्ट्र की विजय हुई। वर्तमान में ईरान की 99.98 प्रतिशत आबादी—मुस्लिम है।
2. तुर्की— 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय हुई। वर्तमान में 99 प्रतिशत तुर्की आबादी मुस्लिम है।
3. अफगानिस्तान पर 11वीं सदी में इस्लामिक विजय हुई। वर्तमान में अफगानिस्तान की 99.07 प्रतिशत आबादी मुस्लिम है।

विश्व में अन्यत्र भी इसके उदाहरण हैं।

दूसरा पक्ष धर्मान्तरण द्वारा विजय भी है। यूरोप का ईसाईकरण इसका उदाहरण है। रोमन सम्राट **Constantine** का ईसाई धर्म में धर्मान्तरण हुआ। यह राष्ट्र द्वारा राष्ट्र—राज्य पर विजय का उदाहरण है। पुनः ईसाई राष्ट्र द्वारा इस्लामिक आक्रमण का विरोध किया गया। अन्य उदाहरण— दक्षिण पूर्व एशिया में इस्लाम में धर्मान्तरण हुआ, पहले राष्ट्र में परिवर्तन हुआ फिर राज्य पर विजय प्राप्त हुआ और अब इस्लामिक राष्ट्र—राज्य का निर्माण हुआ है। मंगोल विजेताओं का मध्य एशिया में पहले इस्लाम में धर्मान्तरण हुआ, यह राष्ट्र की विजय है।

लेकिन दूसरी ओर संघर्ष की स्थिति भी प्राप्त होती है। यदि विजेता राष्ट्र पराजित राष्ट्र को जीतने में विफल रहता है या अपने में समाहित नहीं कर पाता है तो पराजित राष्ट्र का संघर्ष जारी रहता है इसके उदाहरण भारत में मिलते हैं।

वीर गाथा काल तथा भक्ति काल —

भारत में इस्लामिक आक्रमण के विरुद्ध हिन्दी साहित्य में वीरगाथा काल का उल्लेख है। यह वह काल था जब भारतीय राजा इस्लामिक आक्रमण के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। वीरगाथा एक संघर्ष है जो प्रत्यक्ष रूप से राज्य का संघर्ष है। यह राष्ट्र—राज्य का संघर्ष है। पुस्तक की संख्या के बजाय इनकी लोकप्रियता को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। सबसे लोकप्रिय ग्रंथ चंदबरदायी की पृथ्वीराजरासो है। जबकि भक्तिकाल सांस्कृतिक या राष्ट्रवादी संघर्ष का काल है।

यह विचार उत्तर भारत में भक्ति की उत्पत्ति तथा लोकप्रियता के कारणों की व्याख्या करता है। भक्ति तथा भक्तिकाल में अंतर है। भक्तिकाल के संतों में सभी भक्त नहीं हैं। भक्ति का विचारधारा या दर्शन से अधिक गहराई से संबंध नहीं होता जबकि इसकाल के संतों का दार्शनिक ज्ञान श्रेष्ठ है जैसे—कबीर और रैदास का दार्शनिक ज्ञान। रीतिकाल में हम पुनः भूषण कवि का उल्लेख पाते हैं। भूषण के छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल के संबंध में लिखे गए काव्य वीरगाथा काव्य ही हैं। यह राष्ट्रवादी काव्य है। इसके अलावा विजय नगर साम्राज्य की स्थापना में प्रेरक भूमिका निभाने वाले सायण तथा वेदारण्य थे। सायण ने वेदों को पुनः संकलित किया जो आज उपलब्ध है। यह राष्ट्रवादी प्रयास था।

भक्ति : उत्पत्ति —

मैक्स मूलर का तर्क है कि भक्ति जैसा भविष्यसूचक आन्दोलन अक्सर पराजित शासक वर्ग की विचारधारा होता है जिसमें नैषकर्म्य तथा दुःखभोग जैसे पहलुओं पर बल दिया जाता है। (सतीश चन्द्रा— मध्यकालीन भारत)

डा० रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि —

“हिन्दुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी वे मुसलमानों को न तो पराजित कर सकते थे और न ही धर्म की अवहेलना कर सकते थे। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अलावा कोई साधन नहीं था”। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति तथा करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। इसके लिए हिन्दी साहित्य के इतिहासकार पहले वीरगाथा काल तत्पश्चात् भक्तिकाल का उल्लेख करते हैं तथा भक्ति को पराजित समूह की मनोवृत्ति मानते हैं।

मूल्यांकन —

इन तर्कों में इस तथ्य की अवहेलना की गई है कि जीतने वाला समूह अधिक रूढ़िवादी तथा धर्म के प्रति अधिक जागरूक तथा सजग था तथा ज्यादा गहराई से अपने धार्मिक आचारण का पालन कर रहा था। भक्तिकाल में सूफी संतों का भी वर्णन किया जाता है जो विजेता समूह से थे। इसके अलावा जब भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना हुई तो बड़ी संख्या में मस्जिद बनें। इस्लामिक राष्ट्र भारत में स्थापित हुआ जो जीतने वाला

या विजेता समूह था। इसलिए विचारकों जैसे मैक्स मूलर, रामचन्द्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा तथा ऐसे ही अन्य के तर्क तथ्य आधारित नहीं हैं।

उत्तर पश्चिम भारत में अफगानिस्तान में इस्लामिक जीत के साथ आबादी का तेजी से धर्मान्तरण हुआ। फलतः भक्ति आंदोलन का उदय नहीं हो पाया। दूसरी तरफ भारत में धर्मान्तरण उतनी तेजी से नहीं हुआ तथा राष्ट्रीय संघर्ष का उदय हुआ।

उदाहरण स्वरूप इल्तुतमिश के काल में मुठ्ठी भर नमक के उदाहरण का उल्लेख किया जा सकता है। (हरिश्चन्द्र वर्मा—मध्यकालीन भारत)।

यहूदी ईसाई तथा इस्लाम धर्म मार्क्सवादी इतिहासक्रम में गुलाम युग की विचारधारा हैं।

यथार्थ :-

क्रम में वीरगाथा पहले तथा भक्तिकाल बाद में आता है। भक्ति भी परंपरा से एक क्रम का पालन करती है। ग्रियर्सन ने भक्ति को बाह्य प्रक्षेप या बाहर से आयी वस्तु माना है। सीरियन ईसाई मत का दक्षिण भारत में प्रभाव रहा। बोधिसत्व तथा बुद्ध, धम्म और संघ की अवधारणा का विकास हुआ। उत्तर भारत में सिद्ध और नाथ तथा दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संत हुए। उत्तर भारत में गोरख तथा कबीर हुए। बाद में भक्तिकाल में यह प्रमुख विचारधारा बन गई। भारत में इस्लामिक शासन के विरुद्ध हिन्दी साहित्य में वीरगाथा का उल्लेख है। वीरगाथा काल एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में वह काल था जब भारतीय राजा इस्लामिक आक्रमण के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। यह संघर्ष पारिभाषिक रूप से राज्य का संघर्ष था जबकि बाद का भक्तिकाल सांस्कृतिक या राष्ट्रवादी संघर्ष का काल था। यह उत्तर भारत में भक्तिकाल की उत्पत्ति तथा लोकप्रियता का कारण है। भक्ति तथा भक्तिकाल में अंतर होता है। रीतिकाल में हम पुनः भूषण का उल्लेख पाते हैं। भूषण के छत्रपति शिवाजी तथा वीर छत्रसाल के संबंध में लिखे गए काव्य वीरगाथा काव्य हैं। यह राष्ट्रवादी काव्य है। महाराष्ट्र धर्म में समर्थ रामदास का प्रयास राष्ट्रीय प्रयास है। महाराष्ट्र धर्म महाराष्ट्र क्षेत्र में इस्लामिक शासन के समानान्तर विकसित होता है। पण्डरपुर आन्दोलन, बिट्ठल, तुकाराम, रामदास इत्यादि राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं तथा शिवाजी राष्ट्र-राज्य के प्रतिनिधि हैं।

शिवाजी तथा मराठों का मुगल शासक मुख्यतः औरंगजेब से संघर्ष तथा बीजापुर के अफजल खॉन से संघर्ष तत्पश्चात् हिन्दू पदपादशाही मूलतः हिन्दू राष्ट्र बनाम इस्लामिक राष्ट्र का संघर्ष है। शिवाजी का स्वराज राष्ट्र द्वारा राज्य की स्थापना का प्रयास था।

सिखों का सच्चा बादशाह का सिद्धांत भी राष्ट्र का संघर्ष है।

वर्तमान बहस कि अकबर महान या महाराणा प्रताप महान हैं के पीछे भी यही पक्ष है। यह एक आधुनिक बहस है। अकबर को महान मानने वाले विद्वान मूलतः अकबर के उदारवादी विचारों को आधार मानते हैं जैसे जजिया कर हटाना, युद्धबंदियों को दास बनाने पर रोक, तीर्थयात्रा कर की समाप्ति, गैर मुस्लिमों को मनसबदारी में स्थान देना, सुलह-ए-कुल की नीति, दीन ए-इलाही इत्यादि। अकबर के उदारवादी विचार राज्य की नीति है अर्थात् यह राज्य में रहने वाले लोगों के प्रति नीति है। यह राज्य का शासन का सिद्धांत है। जबकि महाराणा प्रताप का संघर्ष एक राष्ट्र तथा राज्य का संघर्ष है जहाँ एक राष्ट्र-राज्य की स्थापना का प्रयास करता है। मुस्लिम लीग का जन्म इस्लामिक राष्ट्र का पुनरुत्थान है। तथा हिन्दू महासभा का जन्म हिन्दू राष्ट्र का पुनरुत्थान है।

अफगानिस्तान :- अफगानिस्तान पर सुबुक्तगीन तथा महमूद गजनवी की विजय तथा हिन्दूशाही वंश के शासक जयपाल की हार के साथ ही राज्य के साथ-साथ अफगानिस्तान में हिन्दू राष्ट्र का अंत हो गया तथा अफगानिस्तान पर इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना हो गयी तथा अफगानिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र-राज्य बन गया।

आबादी का वर्तमान स्वरूप -

800 वर्षों के बाद आधुनिक काल में अफगानिस्तान लगभग 150 वर्षों तक क्रमशः अंग्रेज, रूस तथा USA के साथ संघर्ष की भूमि बना हुआ है। अंग्रेज, रूस, तथा USA द्वारा अफगानिस्तान पर विजय राज्य की राज्य पर विजय ही रहा। इनकी जीत से अफगानिस्तान राज्य की संप्रभुता का हरण हो गया लेकिन राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र की संप्रभुता अक्षुण्ण रही। मध्यकाल में गोरी की अफगानिस्तान पर विजय, मुगल, ईरान का अधिकार इन सब के विरुद्ध कोई राष्ट्रीय जागरण अफगानिस्तान में नहीं हुआ। कोई राष्ट्रीय जागरण नहीं होने का कारण यह है कि यहाँ सभी मुसलमान थे। मुसलमानों ने अंग्रेज, रूस तथा USA की विजय को ईसाई विजय माना तथा यह संघर्ष जारी रहा।

इस्लामिक राष्ट्रवादी संघर्ष के कारण अंग्रेजों तथा रूस की पराजय हो गयी तथा उन्हें वापस लौटना पड़ा। USA के विरुद्ध तालिबान का संघर्ष चलता रहा। यह जो संघर्ष चला वह राष्ट्र की संप्रभुता का संघर्ष था तथा अंततः 15 Aug 2021 को अफगानिस्तान स्वतंत्र हो गया तथा इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना हो गई। यहाँ पुनः इस्लामिक राष्ट्र की संप्रभुता तथा अफगानिस्तान राज्य की संप्रभुता एकमेव हो गई तथा इस्लामिक राष्ट्र-राज्य की स्थापना हो गयी। एकल राष्ट्र-राज्य में राष्ट्र और राज्य की संप्रभुता दोनों एक ही दिखाई देते हैं। जबकि बहुल राष्ट्र-राज्य में राज्य की संप्रभुता तथा राष्ट्र की संप्रभुता भिन्न-भिन्न दिखाई देती है।

OIC (Organisation of Islamic Cooperation) में 57 सदस्य देश हैं। यहाँ राष्ट्र एक है इस्लामिक राष्ट्र तथा राज्य 57 हैं, एक इस्लामिक राष्ट्र की संप्रभुता तथा 57 राज्य की संप्रभुता।

यूरोप में एक ईसाई राष्ट्र तथा अनेक राज्य रहे हैं।

नेपाल में हिन्दू राष्ट्र-राज्य से राज्य की स्थापना हुई है।

विदेश नीति :

विदेश नीति के दो भाग है या दो प्रकार की विदेश नीति होती है।

(1) राज्य आधारित विदेश नीति।

(2) तथा राष्ट्र आधारित विदेश नीति।

भारत का नेपाल के साथ संबंध राष्ट्र का संबंध है। भारत तथा नेपाल के बीच खुली सीमा या खुला बोर्डर है। यह राष्ट्र आधारित है। यह एक राष्ट्र हिन्दू तथा दो राज्य भारत तथा नेपाल हैं। पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच खुला बोर्डर है। यह भी एक राष्ट्र तथा दो राज्य हैं। समान इस्लामिक राष्ट्र की भावना दोनों को जोड़ती है। यूरोपीय संघ का निर्माण, खुला बोर्डर, एक राष्ट्र ईसाई उन्हें एक स्वाभाविक संगठन का रूप देती है। जिसमें राज्य की संप्रभुता का क्षरण तथा राष्ट्र की संप्रभुता की पुष्टि तथा वृद्धि हुई है।

तुर्की यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है बल्कि OIC (Organisation of Islamic Cooperation) का सदस्य है।

कश्मीर समस्या में पाकिस्तान की भूमिका एक राष्ट्र पर आधारित है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कश्मीर के कुछ राजनीतिक दल या नेता यह कहें कि आजाद कश्मीर हो या कुछ कहें कि कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाए। तब इसका अर्थ है राष्ट्र-राज्य का एकीकरण, पाकिस्तान के साथ इस्लामिक राष्ट्र-राज्य का एकीकरण तथा जब यह कहते हैं कि अलग कश्मीर देश बने तो इसका अर्थ है राष्ट्र तो इस्लामिक होगा लेकिन एक नया राज्य कश्मीर बन जाएगा। पाकिस्तान ने 17.03.2022 को OIC (Organisation of Islamic Cooperation) की बैठक में कश्मीर के हुरियत को आमंत्रित किया।

अब्राहम समझौता :-

ईरान ने अब्राहम समझौता का विरोध किया है तथा घोषणा की है कि हम मुसलमान एक राष्ट्र हैं अतः UAE ISRAEL से संबंध तोड़े। यहाँ एक राष्ट्रीय तत्व इस्लामिक राष्ट्र की विषय वस्तु है।

धर्मान्तरण- ईसाई में या इस्लाम में या अन्य धर्म में परिवर्तन राष्ट्र में परिवर्तन है। इससे किसी राष्ट्र का विस्तार होता है तथा दूसरे राष्ट्र का संकुचन होता है। जिस राष्ट्र का विस्तार होता है उसका राज्य में संप्रभुता का विस्तार क्षेत्र बढ़ जाता है। धर्मांतरण से धर्मान्तरित होने वाले की पूरी संस्कृति, इतिहास से जुड़ाव बदल जाता है।

भूमिंडलीकरण / प्रवास / Migration

भूमंडलीकरण में विभिन्न राष्ट्रों के लोगों का Migration होता है।

इससे जिन देशों या राज्यों में प्रवासी तथा शरणार्थी पहुँचते हैं वहाँ उनकी संख्या में वृद्धि के साथ ही उस राज्य की राजनीति में भी परिवर्तन होता है। शर्त यह है कि वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था हो तथा वहाँ सार्वभौम वयस्क मताधिकार हो। घुसपैठियों का भी ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। ऐसा शरणार्थी, आप्रवासी, घुसपैठिया, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिये तथा अन्य सभी वैध-अवैध आगमन सभी स्थिति में होता है। ये शरणार्थी, घुसपैठिये, आप्रवासी यदि भिन्न राष्ट्र के हैं तो इससे राज्य की राजनीति में परिवर्तन होता है। उदाहरणस्वरूप USA में हिन्दू आबादी में बढ़ोतरी से भारतीय राजनीति पर प्रभाव पड़ा है तथा USA की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ा है अर्थात् दोनों प्रभावित होते हैं। पी0एम0 मोदी का USA दौरा तथा पी0एम0 मोदी को USA के भारतीयों से समर्थन की प्राप्ति

USA के राष्ट्रपति **Trump** का भारत आगमन तथा मोदी को उनके समर्थन की घोषणा तथा नारा

1. अबकी बार मोदी सरकार
2. अबकी बार ट्रम्प सरकार

इसका उदाहरण है।

USA में भी सभी राष्ट्र अपने मूल राज्य के प्रति अपने राष्ट्र के हितों के अनुकूल ही राजनीति करते हैं। जैसे— पृथक समूह **Republican** को समर्थन देते हैं। तथा अन्य समूह डेमोक्रेटिक को समर्थन देते हैं। ब्रिटेन, USA, यूरोपीय देशों, कनाडा जैसे देशों में मुस्लिम आबादी के कारण इन देशों की राजनीति में परिवर्तन आया है इससे उनकी आंतरिक राजनीति तथा विदेशनीति प्रभावित हुई हैं। ब्रिटेन में अनेक भारत विरोधी सांसद हैं। उनके मतदाता क्षेत्र में मुस्लिमों की अच्छी-खासी आबादी है। USA में मुस्लिम आबादी के कारण **Republican** तथा **Democratic** पार्टी की राजनीति में उभरता अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। अन्य उदाहरण अफ्रीकी मूल के लोगों तथा लैटिन अमेरिकन लोगों की संख्या भी है। **Democratic** पार्टी की हिलेरी क्लिंटन के ट्रस्ट को साऊदी अरब से फंडिंग प्राप्त हुई है। अफगानिस्तान से USA सेना की वापसी इसका उदाहरण है। **Donald Trump** के इस्लाम विरोधी नीति के कारण **Republican** पार्टी तथा ट्रम्प के विरुद्ध देश तथा विदेशों में जबरदस्त इस्लामिक एक जुटीकरण हुआ तथा **Democratic** पार्टी के वोट बैंक का आधार बना तथा इसने उन्हें समर्थन दिया। **Democratic Party** के **Jo Biden** के शासन काल के दौरान बड़ी तेजी से USA की सेना की अफगानिस्तान से वापसी हुई।

साम्प्रदायिक दंगे :-

साम्प्रदायिक दंगे राष्ट्रीय संघर्ष होते हैं। राष्ट्र संप्रभु तथा स्वतंत्र होता है।

बहुल राष्ट्र-राज्य में राज्य इन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी शक्ति लगाता है। किसी क्षेत्र में बसी मुस्लिम आबादी वस्तुतः स्वंत्रत राष्ट्र ही होता है जहाँ सीमित क्षेत्र में एक द्वीप की भांति ये अपना संप्रभु राष्ट्र-राज्य स्थापित कर लेते हैं। इसी कारण जब कोई हिन्दू जुलूस, विजय यात्रा, रामनवमी जुलूस, काँवड़ यात्रा, इत्यादि इन क्षेत्रों में होती

है या इन क्षेत्रों से होकर गुजरती है तब यहाँ तीव्र प्रतिरोध होता है, पत्थरबाजी होती है तथा साम्प्रदायिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। यह एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से संघर्ष ही है।

इसका उदाहरण कासगंज UP में तिरंगा यात्रा, अमरोहा UP में होली में संघर्ष है। सर सैयद अहमद खान ने हिन्दू-मुस्लिम को दो भिन्न राष्ट्र कहा। मोहम्मद अली जिन्ना तथा मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र या **Two Nation** का सिद्धांत दिया। द्विराष्ट्र या **Two Nation** का अर्थ है हिन्दू तथा मुस्लिम दो भिन्न राष्ट्र हैं अतः दो भिन्न राज्य होना या बनना चाहिए। सावरकर ने हिन्दू राष्ट्र की बात कही तथा भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने की बात कही। स्वतंत्रता से पूर्व ही इसके विरोध में या इसे कांउटर या **Neutralise** करने के लिए संयुक्त राष्ट्रवाद की अवधारणा प्रचलित की गई तथा राष्ट्र एवं राज्य को समानार्थी मान लिया गया। संयुक्त राष्ट्रवाद की अवधारणा राज्य से उत्पन्न सांस्कृतिक पक्ष के हर्डर की विचारधारा के अनुरूप गढ़ी गई। स्वतंत्रता के पश्चात् मुस्लिम राष्ट्र तथा हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा के विरोध में या इसे उदासीन करने के लिए संयुक्त राष्ट्रवाद की अवधारणा को राजनीति एवं शिक्षा जगत में लोकप्रिय बनाया गया। लेकिन राष्ट्र तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हर्डर के राष्ट्रवाद जो भारत में संयुक्त राष्ट्रवाद है के बीच अंतर होता है।

- राष्ट्र :- राष्ट्र संप्रभु होता है।
:- राष्ट्र धर्म तथा संस्कृति से संबंधित होता है।
:- राज्य इसका आवश्यक तत्व नहीं है।
:- यह भूमि से उत्पन्न नहीं होता।

जबकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या अब संयुक्त राष्ट्रवाद राज्य से उत्पन्न होता है। इसका प्रारंभिक आधार भूगोल, जलवायु, भूमि होती है फिर वहाँ की भाषा, साहित्य, शिक्षा, ऐतिहासिक परंपरा, शिष्टाचार होता हैं। इससे उत्पन्न सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होता है जैसे-हर्डर का जर्मन राष्ट्रवाद है। भारत में गंगा-यमुना संस्कृति की विचारधारा भी ऐसी ही है।

विश्लेषण :-

संयुक्त राष्ट्रवाद की यह अवधारणा भ्रामक है। स्थापत्य जैसे इंडो-इस्लामिक स्थापत्य कला, भाषा (उर्दू), खानपान, फारसी, अरबी, नस्ल, स्वतंत्र रूप से राष्ट्र का निर्माण नहीं करते। वस्तुतः राष्ट्र की अपनी विचारधारा, अपना उद्देश्य होता है।

दोनों राष्ट्र हिन्दू तथा मुस्लिम अभी भी पूरी तरह संघर्षरत हैं तथा इनके पुनरुत्थान के पर्याप्त कारक उपस्थित हैं। समस्या यह है कि बाद के अनेक लेखकों और इतिहासकारों ने बिना परिभाषा तथा विशेषता का परीक्षण किये अपना लेखन किया। राजनीति विज्ञान की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रेंकलिन रूजवेल्ट द्वारा रखा गया नाम "संयुक्त राष्ट्र संघ" पारिभाषिक रूप से भ्रामक है। यह केवल बोल-चाल की भाषा से ग्रहण किया गया है तथा लोकप्रिय हो गया है।

विश्लेषण :- संयुक्त राष्ट्र संघ या UNO वस्तुतः राज्यों का संघ है जिसमें 192 राज्यों को सदस्यता प्राप्त है। नेशन शब्द को संप्रभु राज्य के समानार्थी के रूप में लोकप्रिय बनाने का यह प्रयास है। UNO को नेशन्स ऑफ द वर्ल्ड के रूप में प्रचलित करने का प्रयास है जो सर्वोच्च सरकारों का संगठन है जबकि सही शब्द Organisation of the States या राज्यों का संघ होना चाहिए। स्टेट शब्द किसी भी स्थिति में Nation का समानार्थी तथा पर्यायवाची नहीं होता।

वर्तमान राजनीति :-

कांग्रेस द्वारा राष्ट्रवाद की विवेचना तथा RSS का विरोध, Soft Hindutva, हिन्दू बनाम हिन्दुत्व ये सभी विमर्श राज्य तथा राष्ट्र, राज्यवाद तथा राष्ट्रवाद से संबंधित वैचारिक विरोध ही हैं। शिवसेना तथा भाजपा में अधिकांश तत्व समान हैं। शिवसेना को बाबरी मस्जिद को तोड़ने पर गर्व है। भाजपा के भी अनेक नेताओं पर बाबरी मस्जिद ध्वंस का आरोप रहा है। वस्तुतः दोनों दल भाजपा तथा शिवसेना एक समान राष्ट्र हिन्दुत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले दो राजनीतिक दल हैं। अंतर शिवसेना के भूमिपुत्र या धरती पुत्र तथा मराठी-गैरमराठी, मराठी भाषा के आधार पर है जो राष्ट्र की अवधारणा से पृथक है। एक पृथक राष्ट्र के रूप में संजय राउत ने AIMIM के साथ गठबंधन से मना किया तथा कहा कि औरंगजेब की कब्र पर सिर झुकाने वालों से शिवसेना गठबंधन नहीं कर सकती।

राष्ट्र तथा राज्य पृथक-पृथक भी अस्तित्व में रहते हैं तथा एकमेव होकर राष्ट्र-राज्य भी बन जाते हैं। जब दोनों एक होकर राष्ट्र-राज्य हो जाते हैं तब हम उन्हें राष्ट्र-राज्य या **Nation State** कहते हैं। एक राष्ट्र-राज्य अपनी भूमि खो सकता है।

लेकिन सैकड़ों वर्ष बाद भी वह पुनः अपना राज्य स्थापित कर सकता है यदि राष्ट्र जीवित है अर्थात् अस्तित्व में है। उदाहरण स्वरूप यहूदी हजारों वर्षों तक यूरोप के तथा विश्व के विभिन्न देशों में एक राष्ट्र के रूप में जीवित रहे तथा अंततः 1948 ई0 में एक यहूदी राष्ट्र-राज्य **ISRAEL** की स्थापना की। इसका अन्य उदाहरण कश्मीर है। कश्मीर घाटी में पंडितों के पुनर्वास का या घर वापसी का जिहादियों द्वारा विरोध किया जाता है। उनका कहना है कि हम दूसरा **ISRAEL** नहीं बनने देंगे।

विदेशनीति :-

एकल राष्ट्र-राज्य तथा बहुल राष्ट्र-राज्य की विदेश नीति में अंतर होता है तथा यदि किसी राज्य में राष्ट्र का महत्व नहीं के बराबर है तो उसकी विदेश नीति भी भिन्न होती है। जैसे साम्यवादी देशों-रूस, चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया इत्यादि की विदेशनीति पूंजीवादी देशों की विदेशनीति से भिन्न थी या है। किसी राज्य में एक राष्ट्र के महत्व तथा संख्या की मात्रा में परिवर्तन के साथ-साथ विदेशनीति में भी अंतर आता जाता है। लोकतांत्रिक अधिकारों की मात्रा का प्रभाव भी पड़ता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार राष्ट्र की संख्या में महत्व को निर्धारित करने का एक प्रमुख कारक है। एकल राष्ट्र-राज्य जैसे-इस्लामिक देशों की विदेश नीति यहूदी राज्य **ISRAEL** की विदेशनीति से भिन्न है तथा क्यूबा, चीन, रूस की विदेशनीति भिन्न है। दूसरी ओर बहुल राष्ट्र-राज्य जैसे-भारत, **USA. U.K** इत्यादि की विदेश नीति भिन्न है। बहुल राष्ट्र-राज्य में राज्य की विदेश नीति के बजाय विभिन्न राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों तथा राष्ट्रों की विदेश नीति होती है। यह वर्तमान समय में अधिक स्पष्टता से दिखाई दे रहा है। उदाहरण स्वरूप भारत में कांग्रेस की विदेशनीति भाजपा की विदेशनीति से भिन्न है। मुस्लिम राष्ट्र की प्रभुसत्ता का पता इस बात से चलता है कि कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान की यात्रा की तथा मत हेतु समर्थन मँगा। यहाँ कांग्रेस की विदेश नीति बाहर से नियंत्रित हो रही है। पुलुवामा हमले के बाद सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर अनेक

राजनीति दलों ने प्रमाण की मांग की। बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय के एक I.A.S अधिकारी की नियुक्ति सदैव प्रमुख पदों पर हुई है। पाकिस्तान के समाचार पत्रों में भी उनका उल्लेख रहता है। उनकी पत्नी भी सरकार में मंत्री रही हैं। राजनीतिक आकलन के अनुसार भविष्य में उन्हें उच्च राजनीतिक पद की भी प्राप्ति हो सकती है। यह राजनीतिक दलों के राष्ट्र के साथ संबंध को दर्शाता है। कांग्रेस के अपने प्रभुत्वकाल या शासन काल में फिलीस्तीन की ओर झुकाव था। दूसरी ओर भाजपा के शासनकाल में ISRAEL के साथ भारत के संबंध ज्यादा अच्छे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ISRAEL की यात्रा की। USA में पिछले कुछ वर्षों में रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेटिक पार्टी की विदेशनीति में स्पष्ट अंतर दिखाई देने लगा है। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रम्प पर रूस से समर्थन प्राप्ति का आरोप लगा तथा लंबी जाँच भी चली। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रम्प की विदेशनीति की एक घटना यह है कि उन्होंने USA के संवैधानिक ढाँचे के बावजूद कुछ मुस्लिम देशों से मुसलमानों के USA में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरी ओर डेमोक्रेटिक पार्टी NATO, Ukrain-Russia जैसे—मुद्दों को अधिक बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा बना रही है। दोनों दलों की नीतियों में यह अंतर USA के बहुल राष्ट्र स्वरूप के कारण भी है। यह अंतर दोनों पार्टियों को देश के अंदर रहने वाले लोगों के राष्ट्र पर निर्भर करता है।

किसी राष्ट्र के वे सदस्य जो राज्य से बाहर हैं, किसी राज्य की आंतरिक राजनीति को अपने हित में नियंत्रित करते हैं। वे अपने हितों की पूर्ति करने वाले राजनेताओं को समर्थन देते हैं तथा उन्हें चुनाव में जिताते हैं। लेकिन हितों पर चोट या राष्ट्रीय तत्व पर आघात पड़ते ही ये तत्काल अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं जैसे—हिजाब पर OIC (Organisation of Islamic Cooperation) की प्रतिक्रिया है। USA के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के विरुद्ध चुनाव में इस्लामिक राष्ट्र का एकजुटीकरण हुआ। दूसरी ओर डेमोक्रेटिक पार्टी के हिलेरी क्लिंटन के Trust को Saudi Arab से मदद मिली। चुनाव में जो बाइडन या Democratic Party की जीत तथा डोनाल्ड ट्रम्प की हार से USA की विदेशनीति में तत्काल परिवर्तन हुआ तथा अफगानिस्तान से USA की सेना की तत्काल वापसी हुई। जो बाइडन की राजनीति या USA की राजनीति पुनः NATO तथा रूस की ओर उन्मुख हो

गई। **Democratic Party** के समर्थकों तथा **Republican Party** के समर्थकों के समूह में भी अंतर दिखाई देने लगा है। **Democratic** के समर्थक हैं— मुस्लिम, हिस्पैनियन, अश्वेत जबकि अनेक हिन्दुओं ने रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन किया। यहाँ USA की Visa नीति के कारण कुछ अन्य प्रभाव भी दिखता है।

हिन्दू राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र, इस्लामिक अमीरात, ईसाई राष्ट्र।

आजकल हिन्दू राष्ट्र शब्द का प्रयोग भारत के संदर्भ में किया जाता है। लेकिन हिन्दू राष्ट्र शब्द भ्रामक है। हिन्दू स्वयं में राष्ट्र हैं अतः शब्द होना चाहिए हिन्दू राष्ट्र—राज्य अर्थात् हिन्दू राष्ट्र जिसकी अपनी भूमि तथा राज्य भी है। इसलिए जब यह कहा जाता है कि गैर—हिन्दुओं से कैसा व्यवहार होगा तो इसका अर्थ है हिन्दू राष्ट्र की संप्रभुता का अधिक प्रभाव तथा दूसरी ओर उस राज्य में अन्य राष्ट्रों के साथ कैसा व्यवहार होगा। (इस संबंध में राज्य की नीति पर सावरकर के विचार उल्लिखित हैं)। हिन्दू राष्ट्र का अर्थ है राज्य में हिन्दू संप्रभुता का स्थापित होना। इस्लामिक राष्ट्र का अर्थ है इस्लाम की प्रभुसत्ता की स्थापना होना। इस्लामिक राष्ट्र—राज्य में अन्य राष्ट्रीय प्रभुसत्ताओं को उभरने की अनुमति नहीं होती। इसी कारण राज्य में अन्य राष्ट्रों के चिन्ह तोड़ दिये जाते हैं जैसे—मध्यकाल में भारत में मंदिरों को तोड़ा गया। विश्व में अन्य उदाहरण हैं—अल—अक्सा मस्जिद तथा सोफिया का मस्जिद, भारत में कुव्वत—उल—इस्लाम मस्जिद। इस्लामिक चरम पंथियों ने पलमाईरा तथा होम्स जैसे—प्राचीन शहर नष्ट कर दिये। अफगानिस्तान में तालिबान ने बामियान में बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी। ISIS का पूरा नाम **Islamic State of Iraq and Syria** है अर्थात् इराक तथा सीरिया राज्य पर इस्लामिक प्रभुसत्ता की स्थापना। मोहम्मद इकबाल के **Pan Islamic** का अर्थ है संपूर्ण विश्व में इस्लामिक प्रभुसत्ता की स्थापना होना।

नाम में परिवर्तन :-

नाम में परिवर्तन तथा मूर्तियों की स्थापना के अनेक आधार होते हैं। इनमें से अनेक आधार पाठ्यपुस्तकों में पूर्णतः व्याख्यायित हैं जैसे दलित प्रभुत्व की स्थापना की घोषणा हेतु डॉ० अम्बेडकर की मूर्ति प्रत्येक शहर तथा शहरों के प्रमुख चौराहों पर स्थापित की जाती है। दलित प्रभुत्व की स्थापना की घोषणा हेतु ही ज्योतिबा फूले, पेरियार तथा शाहूजी महाराज

की मूर्ति भी स्थापित की जाती हैं (IGNOU e-content)। इसी आधार पर अन्य का भी वर्णन किया जा सकता है। जैसे—समाजवादी संघर्ष के प्रतीक के रूप में शहर के प्रमुख चौराहों पर भगत सिंह की मूर्ति स्थापित की जाती है जबकि भगत सिंह के साथ सुखदेव तथा राजगुरु को भी फाँसी हुई थी। लेकिन मूर्ति केवल भगत सिंह की लगायी जाती है सुखदेव तथा राजगुरु की नहीं। गांधीवाद की विचारधारा की स्थापना हेतु प्रमुख चौराहों पर गांधी जी की मूर्ति लगायी जाती है। अब BJP के शासनकाल में नाम परिवर्तन की बात करते हैं। राष्ट्र के रूप में जब स्थानों के नाम में परिवर्तन होता है तो यह विरोधी या अन्य राष्ट्र की प्रभुसत्ता के चिन्ह का उन्मूलन तथा स्व-राष्ट्र की प्रभुसत्ता की स्थापना की घोषणा होती है। जैसे—इलाहाबाद का नाम बदलकर पूर्व नाम प्रयागराज करना, मुगलसराय का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन करना।

लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने 1892 के विवाह अधिनियम का विरोध किया था। इसका कारण यह था कि तिलक का मानना था कि अंग्रेजों का भारत पर अधिकार केवल राज्य पर अधिकार है समाज पर नहीं। यहाँ समाज का अर्थ राष्ट्र ही है। यह तिलक द्वारा राष्ट्र की प्रभुसत्ता की घोषणा है। तिलक का मानना था कि जो भी समाज सुधार करना है वह हिन्दु स्वयं करेंगे British सरकार नहीं करेगी, यह British सरकार का अधिकार नहीं है। यहाँ तिलक एक राष्ट्र के रूप में हिन्दु को अविजित मानते हैं तथा हिन्दु राष्ट्र की प्रभुसत्ता की घोषणा करते हैं तथा हिन्दु राष्ट्र की संप्रभुता में British हस्तक्षेप मानते हैं। तिलक का विरोध राष्ट्र का विरोध है तथा उन्होंने राष्ट्र के कार्यों में इसे राज्य का हस्तक्षेप माना। 1950 के दशक में संसद ने वक्फ बोर्ड बिल पारित किया तथा सत्तर के दशक में AIMPLB या All India Muslim Personal Law Board की स्थापना हुई। यह राष्ट्र के रूप में इस्लाम की पुर्नस्थापना का प्रकटीकरण है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड तथा AIMPLB दोनों इस्लामिक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। AIMPLB ने न्यायालय द्वारा तीन तलाक के समाधान का विरोध किया तथा स्वयं ही मुस्लिम समाज में चेतना द्वारा समाधान या स्वयं ही मुस्लिम समाज में सुधार द्वारा समाधान की बात की। यह इस्लामिक प्रभुसत्ता का प्रयास है। यह दोनों ही बातें स्पष्ट करती हैं कि राष्ट्र की संप्रभुता राज्य की संप्रभुता से भिन्न है, तथा राष्ट्र अपने अस्तित्व के लिए सचेत तथा संघर्षरत रहता है। प्रजाति, नस्ल,

भाषा, रक्त समूह, कबीला, आर्य, अनार्य, द्रविड़, जनजाति, मूल निवासी इत्यादि संकल्पनाएँ स्वयं में राष्ट्र नहीं हैं। इनमें से लगभग सभी संकल्पनाएँ आधुनिक संकल्पनाएँ हैं। भाषा केवल एक माध्यम है जिसमें कुछ भी अभिव्यक्त किया जाता है। भाषा राष्ट्र नहीं होता। कम्प्यूटर जानने वाले सभी व्यक्ति एक राष्ट्र नहीं बन जाते।

जर्मनी तथा आस्ट्रिया की भाषा समान है। प्रशा तथा अन्य लगभग 300 राज्य **Protestant** थे जबकि आस्ट्रिया कैथोलिक था। जर्मनी का एकीकरण प्रोटेस्टेण्ट लोगों का एकीकरण था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ जिसका आधार धार्मिक था। 1947 में धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन हुआ। इसमें पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान और अब बांग्लादेश बना। जबकि पश्चिम बंगाल भारत में रहा। पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश दोनों ही बांग्ला भाषा बोलते हैं लेकिन भिन्न राष्ट्र या भिन्न धार्मिक कारण से बांग्लादेश एक भिन्न राष्ट्र-राज्य है। 1947 में पंजाब का विभाजन भी धार्मिक आधार पर हुआ। मुस्लिम बहुल क्षेत्र पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में शामिल हुआ। जबकि पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी पंजाब दोनों ही पंजाबी भाषी थे। कश्मीर घाटी से पंडित निष्कासित किये गए जबकि उनकी भाषा भी कश्मीरी है। वैश्विक पटल पर देखें तो कुर्द अनेक देशों में फैले हुए हैं, ये उपराष्ट्रिक माने जाते हैं। उजबेग, ताजिक, किर्ग, कजाक ये सभी भी उपराष्ट्रिक माने जाते हैं। राष्ट्र के रूप में ये सभी **OIC (Organisation of Islamic Cooperation)** के सदस्य हैं तथा राष्ट्र-राज्य के रूप में स्वतंत्र देश हैं। दूसरी और स्लाव, उक्रेन, रसियन, जार्जिया इत्यादि अलग-अलग समूह हैं जिन्हें उपराष्ट्रिक कहा जाता है जो एक राष्ट्र ईसाई से संबंधित है। यूक्रेन **NATO** तथा **EU** का सदस्य बनना चाहता है न कि **OIC (Organisation of Islamic Cooperation)** का सदस्य।

टिप्पणी :-

यद्यपि पाठ्यपुस्तकों में कुर्द, उजबेग, ताजिक, किर्ग, इत्यादि उपराष्ट्रिक कहे जाते हैं लेकिन यथार्थ में ये केवल एक जनजाति या कबीलाई समूह ही हैं। इन्हें उपराष्ट्रिक कहना भी उचित नहीं है क्योंकि उपराष्ट्रिक के रूप में इनका कोई भिन्न धर्म, दर्शन, विचारधारा नहीं हैं। राष्ट्र के रूप में तो ये माने ही नहीं जाते हैं।

भारत :-

भारत में लेखन में राज्यवाद को ही राष्ट्रवाद बनाकर लोकप्रिय बनाया गया है। अधिकांश पुस्तकें इसी आधार पर लिखी गयी हैं। देशभक्ति, **Patriotism**, राज्यवाद इन सभी को राष्ट्रवाद या **Nationalism** का पर्याय मान लिया गया है। लेकिन राजनीति विज्ञान में राष्ट्र तथा राज्य की अपनी निश्चित परिभाषाएँ तथा विशेषताएँ हैं। ये परिभाषाएँ तथा विशेषताएँ कभी बदली नहीं हैं वल्कि समय के साथ सुदृढ़ ही हुई हैं। राजनेताओं, विद्वानों तथा राजनीतिक रुझान वाले विद्वानों ने राष्ट्र की परिभाषा को सुविधानुसार नए सिरे से गढ़ा है। प्रारंभ में ब्रिटिश विरोध के लिए तथा लोगों के एकजुटीकरण के लिए राष्ट्रवाद शब्दावली का प्रयोग किया गया। पुनः स्वतंत्रता तथा विभाजन के बाद भारतीय संघ के निर्माण तथा भारत राज्य की एकता तथा अखंडता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रवाद शब्दावली का सुविधानुसार प्रयोग किया गया। साम्प्रदायिकता या **Communalism** नामकरण भी नयी-नयी शब्दावली है। शब्दकोष में अभीतक इसे समुचित स्थान भी नहीं मिला है तथा राजनीति विज्ञान में वाद के रूप में इसका अस्तित्व ही नहीं है। बिपिन चंद्र ने अपनी पुस्तक “भारत का स्वतंत्रता संघर्ष” में (हिन्दी भाषा कार्यान्वयन निदेशालय डी०यू०) साम्प्रदायिकता की परिभाषा तथा कारण गढ़ने का प्रयास किया है। बहुत से विद्वान पूर्व में साम्प्रदायिकता तथा वर्तमान साम्प्रदायिकता जैसा विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन परिभाषा बदलने से ऐतिहासिक विकास क्रम नहीं बदलता तथा विशेषताएँ एवं मूलचरित्र समय के साथ अवसर मिलते ही प्रकट हो ही जाते हैं। बंकिम चन्द्र चटर्जी ने “आनंद मठ” नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में उन्होंने “वंदे मातरम्” नामक गीत लिखा। आनंद मठ में राष्ट्र के तत्व ही मुख्य रूप से उपस्थित हैं लेकिन इसमें राज्य के तत्व भी विद्यमान हैं। बंकिम चंद्र ने “धर्म का सिद्धांत” दिया **Theory of Religion**। बंकिम चन्द्र के विचारों का आधार भगवत गीता है। उन्होंने अनुशीलन की स्थापना की। बंकिम चन्द्र के अनुशीलन का अर्थ उस कर्तव्य से है जिसके करने पर फल या पुरस्कार की आशा नहीं की जाती है। इसी अनुशीलन के आधार पर बंगाल में अनुशीलन समीतियाँ बनीं। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आन्दोलन का प्रारंभ 1880 के दशक में हुआ (सुमित सरकार, ग्रोवर) चाफेकर बंधुओं पर भगवत गीता का प्रभाव था। बाद में तिलक ने “गीता रहस्य”

लिखा। भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन का प्रारंभ राष्ट्र के तत्व से हुआ है। भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन का विकास विभिन्न चरणों में क्रमशः राष्ट्र-राज्य से राज्य की ओर हुआ है। लेकिन इसका अधिकांश भाग राष्ट्र-राज्य ही है। बाद के चरण में क्रांतिकारी आन्दोलन का लक्ष्य तथा स्वरूप समाजवादी गणतंत्र हो गया। जैसे-संगठन हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। यहाँ राज्य का तत्व ही विद्यमान है तथा राष्ट्र के तत्व का पर्याप्त अभाव है।

दूसरी ओर विद्वान बिपिन चंद्र ने इस तर्क के बिल्कुल विपरीत क्रांतिकारी आन्दोलन का विकास माना है। उनके अनुसार भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन का विकास "धर्म से राष्ट्र" की ओर हुआ है।

समीक्षा- यहाँ बिपिन चन्द्र ने राष्ट्र को राज्य का पर्याय मान कर लेखन किया है। उन्होंने धर्म निरपेक्ष राज्य, राज्य के समाजवादी स्वरूप, पूंजीवाद तथा जमींदारों का नाश, तथा **HSRA** संगठन एवं भगत सिंह को इसमें शामिल किया है। यही विचार वर्तमान में सर्वव्यापी तथा लोकप्रिय है। अतः इसका भी मूल्यांकन आवश्यक है।

बिपिन चंद्रा द्वारा भगत सिंह का वर्णन :- (NCERT) में इस प्रकार है -

"भगत सिंह ने समाजवाद में अपनी आस्था प्रकट की। भगत सिंह लिखते हैं-

"किसानों को केवल विदेशी शासन ही नहीं बल्कि जमींदारों तथा पूंजीपतियों के जुए से भी स्वयं को मुक्त करना होगा।

भगत सिंह के अनुसार "मुठ्ठी भर शोषक" अपने स्वार्थों के लिए साधारण जनता की मेहनत का शोषण करते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये शोषक शुद्ध रूप से ब्रिटिश पूंजीपति है, ब्रिटिश तथा भारतीय मिलकर शोषण करते हैं या ये शुद्ध रूप से भारतीय है। भगत सिंह ने समाजवाद की वैज्ञानिक परिभाषा की कि इसका अर्थ पूंजीवाद तथा वर्गीय शासन का अंत करना है।

बिपिन चंद्रा ने लिखा है कि भगत सिंह पूरी तरह तथा चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष भी थे। भगत सिंह का मानना था कि साम्प्रदायिकता उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि उपनिवेशवाद तथा इसका सख्ती से मुकाबला करना होगा। 1926 में भगत सिंह ने पंजाब में "नौजवान भारत सभा" की स्थापना में भाग लिया तथा इसके प्रथम सचिव बने।

भगत सिंह ने "भारत नौजवान सभा" के जो नियम तैयार किये थे उनमें दो नियम इस प्रकार थे— साम्प्रदायिक विचार फैलाने वाले साम्प्रदायिक संगठन या अन्य पार्टियों से कोई संबंध नहीं रखना तथा लोगों को यह समझाना कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है तथा इस प्रकार उनमें सामान्य सहिष्णुता की भावना जगाना तथा इसी विचार के अनुसार कार्य करना ।

मूल्यांकन :-

भगत सिंह के विचार राज्य से संबंधित है। साम्प्रदायिकता तथा धर्मनिरपेक्षता राज्य से संबंधित विवाद हैं। राज्य की क्रांति, पूंजीवाद का खात्मा, जमींदारों का अंत, समाजवाद की स्थापना राज्य से संबंधित विचार हैं। राष्ट्र तथा राष्ट्रीय तत्व का इसमें अभाव है।

निष्कर्ष :-

सैद्धांतिक रूप से भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन की प्रकृति राष्ट्र-राज्य से राज्य की ओर हुई है। लेकिन शुद्ध राज्य के तत्व के उदाहरण की अपेक्षा राष्ट्र-राज्य के तत्व अंत तक अधिक ही हैं।

भारत पर आक्रमण :-

भारत पर प्राचीन काल में मौर्यपूर्व काल, मौर्यकाल तथा मौर्योत्तर काल में अनेक विदेशी आक्रमण हुए। भारत पर प्राचीन काल में हिन्द-यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, सीथियन, खजर या खर्जर, गुर्जर, हूण, आभीर आदि का आक्रमण हुआ।

यह कहा गया है कि इन विदेशी आक्रमणकारियों का अपना कोई धर्म या संस्कृति नहीं थी इसीलिए ये भारतीय संस्कृति में घुल-मिल गये। लेकिन ऐसा नहीं है।

विलय के कारण :-

सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा दार्शनिक रूप से विचारों में अनेक समानता होने के कारण इन समूहों का भारतीय राष्ट्रीय तत्व में शीघ्र ही विलय हो गया। हिन्द-यवन मिनांडर बौद्ध हो गया। हिन्द-यवन हेलियोदोरस ने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की तथा स्वयं को भागवत कहा। अन्य उदाहरणों में शक रुद्रसिंह, कनिष्क तथा हुविष्क प्रमुख हैं। भारतीय ग्रंथों में यवनाचार्यों का उल्लेख हुआ है। पंचसिद्धांतिका में दो सिद्धांत रोमक तथा पोलिस

बाहरी हैं। प्लेटो के आत्मा विषयक विचार तथा आत्मा की त्रिगुणात्मकता की भारतीय विचारों से समानता है।

राष्ट्रीय तत्व में अनेक समानता के तत्व होने के कारण इन विदेशी आक्रमणकारियों के साथ राष्ट्रीय संघर्ष नहीं हुआ। केवल राज्यीय संघर्ष के उदाहरण मिलते हैं। ये विजेता तथा आक्रमणकारी शीघ्रातिशीघ्र भारतीय समाज में घुल-मिल गए। हिन्द-यूनानियों का भारतीय ज्योतिष पर प्रभाव पड़ा। यहाँ राष्ट्रीयता समान रही। अतः राष्ट्र की संप्रभुता का संघर्ष नहीं हुआ केवल राज्यीय संघर्ष रहा है। इसके विपरीत इस्लामिक आक्रमण के काल में राष्ट्रीयता में अंतर होने के कारण राज्यीय तथा राष्ट्रीय संघर्ष दोनों रहा है।

राज्य के रूप में मंगोलों ने मध्य एशिया पर विजय प्राप्त की लेकिन शीघ्र ही राष्ट्र के रूप में इस्लाम ने उनपर विजय प्राप्त की। शीघ्र ही मंगोल इस्लाम में धर्मान्तरित हो गये तथा इस्लामिक राष्ट्र के सबसे प्रबल प्रतिनिधि बन गए। दलाई लामा तथा उनके साथ आए अनुयायी भी राष्ट्रीय तत्व में समानता के कारण शीघ्र ही भारतीय समाज में घुल-मिल गए। दूसरी ओर केरल में मुस्लिम व्यापारी जो अरब से आकर बसे उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता बनाए रखी। केरल के मालाबार क्षेत्र में भीषण मोपला विद्रोह हुआ तथा राष्ट्र-राज्य की स्थापना का विफल प्रयास भी हुआ। आरोप है कि यह क्षेत्र धीरे-धीरे ISIS के केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है तथा यहाँ अन्य राष्ट्रीय तत्व जैसे-हिन्दुओं, ईसाई से इनका संघर्ष हो रहा है। इराक तथा सीरिया के शरणार्थियों का तुर्की तथा ईरान में स्वागत हो रहा है लेकिन यूरोप इन मुस्लिम शरणार्थियों के आगमन से सतर्क तथा सशंकित है। दूसरी ओर यूरोप के ईसाई बहुल देश यूक्रेन से आने वाले शरणार्थियों का स्वागत कर रहे हैं। राष्ट्र का परंपरागत स्वरूप धर्म-संस्कृति ही है। आधुनिक काल में राष्ट्र के निर्माण का प्रयास नस्ल, प्रजाति, जनजाति, कबीला आदि की अवधारणा के रूप में करने का प्रयास किया गया। प्रजाति, नस्ल, की अवधारणा प्रथम बार 17वीं शताब्दी में दिखाई देती है। धर्म तथा संस्कृति में सैद्धांतिक रूप से इनका स्थान नहीं है। लगता है "अनास्" शब्द को आधुनिक काल में ही 18वीं शताब्दी या उसके पश्चात् जोड़ा गया। अनास् का संधिविच्छेद :- अ + नास नहीं होता वल्कि अन् + आस होता है। जीन तथा DNA का सिद्धांत 20वीं शताब्दी में दिया गया। **British** काल में भारत के संदर्भ में नाक

के आधार पर सात वर्गीकरण किया गया है। मॉरिस बारस ने रक्त तथा माटी को राष्ट्रवाद का जुड़वाँ आधार कहा। रक्त की अवधारणा तथा रक्त मिश्रण नाजीवाद का आधार है तथा महात्मा गांधी ने भी नस्ल तथा अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर अपने विचार रखे। नस्ल की सर्वोच्चता तथा रक्त मिश्रण को रोकना फासीवाद का आधार है। ज्योतिबा फूले का आर्य-अनार्य संबंधी अवधारणा तथा पेरियार का आर्य-द्रविड़ अवधारणा, लार्ड डफरिन की द्रविड़ संबंधी अवधारणा यह सभी विज्ञान के विकास का सामाजिक विज्ञान में आरोपण तथा रूढ़िकरण का परिणाम है।

कुर्द, ताजिक, उजबेग, कजाक, नार्डिक, नार्मन, फ्रैंक, स्लाव, फिन, पोल, गाल इत्यादि सभी का वर्गीकरण उपराष्ट्रिक के रूप में किया जाता है। राजनीति विज्ञान में आत्मनिर्णय का अधिकार का विषय प्रायः इन्हीं से संबद्ध है। एक कबीला के रूप में वर्गीकरण से अधिक ये कुछ नहीं होते। इनका अपना कोई दर्शन, सिद्धांत, विचार नहीं होता, ये उपराष्ट्रिक भी अपना राज्य बना लेते हैं। लेकिन ये उपराष्ट्रिक राज्य ही होते हैं तथा इनके ऊपर इनका राष्ट्र तथा राष्ट्रीय स्वरूप होता है। जैसे-ईसाई राष्ट्र है। फिन, पोल, स्लाव, नार्डिक, जर्मन, फ्रैंक इत्यादि इनका अपना देश या राज्य है। लेकिन इसका आधार राष्ट्र, चर्च या ईसाई धर्म है, जो शीर्ष पर है। इस्लामिक राष्ट्र भी हैं, जैसे ताजिक, उजबेग, कजाक, किर्ग इत्यादि हैं। इनका अपना देश या राज्य है। ये सभी OIC (Organisation of Islamic Cooperation) के सदस्य देश हैं। लेकिन इनका आधार इस्लाम धर्म है जो शीर्ष पर है। ईरान में भाषा फारसी है, सऊदी अरब की भाषा अरबी है, पाकिस्तान की भाषा उर्दू है, बांग्लादेश की भाषा बंगाली है। लेकिन ये सभी देश OIC (Organisation of Islamic Cooperation) के सदस्य देश हैं तथा इनका राष्ट्र इस्लाम है जो शीर्ष पर है।

हर्डर ने राष्ट्रीयता के सांस्कृतिक पक्ष पर जोर दिया। उनके अनुसार राष्ट्रीयता के विभेद का आधार-भूगोल, जलवायु, ऐतिहासिक परंपरा, भाषा, साहित्य, शिक्षा, शिष्टाचार, कारक है। हर्डर ने राष्ट्रीय आत्मा का उल्लेख किया।

मूल्यांकन :-

पहले भूगोल, जलवायु भूमि शब्द से जुड़े, फिर भूमि तत्व से ऐतिहासिक परंपरा, भाषा साहित्य, शिक्षा, शिष्टाचार जुड़ा। हर्डर के "राष्ट्रीय आत्मा" का तत्व राज्य से जुड़ा है।

लेकिन हर्डर ने पहले के उपराष्ट्रिक तत्व जर्मन कबीला की अवहेलना की है जो मूल कारक है। भारत में भी राजनीतिक कारणों से हर्डर के इसी राष्ट्रवाद तथा राष्ट्र की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया गया जिसे गंगा-जमुनी संस्कृति कहा गया है। हर्डर ने भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले अन्य राष्ट्रों की अवहेलना की। यहाँ जर्मन के अलावा यहूदी तथा मुस्लिम भी थे। इसके अलावा जर्मन भी प्रोटेस्टेण्ट तथा कैथोलिक में विभाजित थे। कैटिलोनिया, बास्क, जैसे सभी उपराष्ट्रिक ही है। यह नई प्रवृत्ति है। पहचान की राजनीति तथा मूलवासी संबंधी विचार आधुनिक प्रवृत्ति है। UN ने 1970 के दशक में इसे अपनाया। भारत में आदिवासी संदर्भ भी ब्रिटिश काल में उत्पन्न हुआ।

कार्लमार्क्स ने राष्ट्रवाद को बुर्जुआ पूंजीवाद कहा। यह राज्य की मध्यवर्गीय अवधारणा है तथा राष्ट्र इससे भिन्न है।

समीक्षा :-

यूरोपीय पुनर्जागरण, विज्ञान, प्रबोधन तथा आधुनिक औपनिवेशिक युग के उदय से नयी प्रवृत्ति का जन्म हुआ। राष्ट्रवाद अपने मूल स्वरूप में धर्म-संस्कृति आधारित होता है। यह भाषा, नस्ल, पहचान संबंधी विभेद नहीं करता है। धार्मिक ग्रंथ विभिन्न भाषाओं में अनुदित होते हैं। नस्ल, भाषा, स्थानीयता, मूलनिवासी, कबीला, जनजाति संबंधी विभेद आधुनिक हैं। यूरोप तथा USA, Canada का मूल राष्ट्र अभी भी Christianity ही है जो किसी भी इस्लामिक आतंकी घटना पर एकजुट हो जाता है तथा राज्य के अन्य तत्व के प्रभावी होने पर सुसुप्त रहता है। भारत में पहचान आधारित राजनीति तथा नस्ल आधारित विभेद तथा राजनीति कई बार प्रभावी होने का प्रयास करते हैं लेकिन विभिन्न राष्ट्रों में उन्हें समाहित करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। राज्य निर्माण का आधार धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के आधार के अतिरिक्त कबीला, रक्त समूह, नस्ल, मूलवासी, जनजाति भी होता है जिसके लिए नया प्रचलित शब्द संजातीयता या **Ethnic** है तथा अन्य शब्द उपराष्ट्रिक है। बिपिन चंद्रा ने अपनी पुस्तक "आजादी के बाद भारत 1947-2004" में अध्याय लिखा है- "राष्ट्र के रूप में भारत का गठन"। इसमें उन्होंने भाषा, जनजातीय लोगों के एकीकरण, क्षेत्रवाद तथा क्षेत्रीय असमानता को शामिल किया है।

समीक्षा :-

यथार्थ में पारिभाषिक दृष्टि से ये राज्य से संबंधित विषय तथा कार्य हैं जिसमें राज्य लोगों का एकीकरण करता है तथा अपनी संप्रभुता को चुनौती देने वाले विभिन्न तत्वों को अपने नियंत्रण में लाता है। राष्ट्र में उत्तरजीविता के लिए सुधार की प्रवृत्ति होती है। राष्ट्र तथा राष्ट्रियता के वाहक अपने हार के कारण का मंथन करते हैं तथा समाज सुधार करते हैं तथा पुनः ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इस संदर्भ में आधुनिक काल में राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानन्द सरस्वती, विवेकानंद जैसे विद्वान विचारक इसके वाहक हैं।

विकासक्रम में राष्ट्र का उदय पहले हुआ है तथा बाद में राज्य का उदय एवं विकास हुआ है। धर्म के तत्व का उदय नियंडरथल मानव से माना जाता है। पहले वेदों की रचना हुई फिर प्राचीन वैदिक राज्य बने। पहले यहूदी मत आया, फिर यहूदी राज्य बना। पहले **Christianity** आया फिर ईसाई राज्य बने। पहले इस्लाम आया फिर इस्लामिक राज्य बने। पहले बौद्ध धर्म आया फिर बौद्ध राज्य बने। यह राष्ट्र तथा इसके अलावा उपराष्ट्रिक या संजातीयता होता है जिसका उदय पहले होता है फिर वह आत्म निर्णय के अधिकार की मांग करता है। आधुनिक काल में राष्ट्रों ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग के आधार पर राज्यों का निर्माण किया है। यह राज्य की उत्पत्ति का अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, मार्क्स, विकासवादी इत्यादि के विचारों से भिन्न है। उपराष्ट्रिक, संजातीयता, तथा राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के आधार पर राज्य के निर्माण या उदय राज्य की उत्पत्ति का अन्य कारण प्रतीत होता है। राष्ट्र के आत्म-निर्णय के सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान, उजबेग, ताजिक, किर्ग इत्यादि अनेक राष्ट्र बने हैं। यूरोप तथा अन्यत्र भी इसके उदाहरण हैं।

राज्य ने राष्ट्र को प्रतिस्थापित करने के लिए राष्ट्र के तत्वों को ग्रहण कर लिया है।

यथार्थ में राज्य की वास्तविक विशेषताएँ केवल चार हैं—

(1) भूमि (2) जनसंख्या (3) संप्रभुता तथा (4) सरकार

जबकि राष्ट्र की विशेषताएँ हैं—

Anthem—यह चर्च में रविवार को गाया जाने वाला **Chorus** है।

प्रतीक चिन्ह— धार्मिक झंडा तथा चिन्ह जैसे भगवा झंडा, हरा झंडा इत्यादि।

इतिहास :- धर्मग्रंथ— वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल इत्यादि।

धर्मग्रंथों की व्याख्या करने वाली रचनाएँ इत्यादि।

शहीद तथा **Martyar** :-

धर्म की रक्षा हेतु मारे गए लोग इस्लाम में शहीद तथा ईसाई धर्म में **Martyar** कहलाते हैं। दक्षिण भारत में गाय के लिए लड़ते हुए मारे जाने वाले नायक थे।

वर्तमान में राज्य द्वारा राष्ट्र के ऐसे ही अनेक तत्व ग्रहण किये गए हैं।

National Anthem शब्द भ्रामक अवधारणा है।

सही शब्द **State Song** है।

उसी तरह निम्नलिखित भी हैं।

प्रतीक चिन्ह :- झंडा तथा चिन्ह जैसे तिरंगा तथा अशोक स्तंभ है।

इतिहास :- स्वतंत्रता संग्राम

जैसे— भारत, USA का स्वतंत्रता संग्राम हैं।

नायक :- गांधी, नेहरू, सुकर्णो, वाशिंगटन इत्यादि हैं।

शहीद :- भगत सिंह को शहीदे आजम कहा जाता है। केन्द्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद में सेना हेतु शहीद शब्द का प्रयोग किया। जबकि भगत सिंह के विचार तथा कार्य एवं सेना राज्य से संबंधित हैं, ये राष्ट्र से संबंधित नहीं हैं। सही शब्द वीरगति होना चाहिए। इस प्रकार राज्य ने राष्ट्र को प्रतिस्थापित करने के लिए राष्ट्र के तत्वों को ग्रहण कर लिया है।

आतंकवाद **Terrorism** :-

आतंकवाद राज्य आधारित तथा राज्येत्तर या राष्ट्र आधारित दोनों होता है।

राज्य आधारित आतंकवाद की विषय-वस्तु राज्य से संबंधित होता है। राज्य आधारित

आतंकवाद के उदाहरण हैं—

- (1) मार्क्सवादी
- (2) नक्सली
- (3) माओवादी

- (4) आयरिश ग्रुप
(5) लैटिन अमेरिकन ग्रुप इत्यादि।
राज्य आधारित आतंकी संगठन हैं—

- (1) LTTE :- श्रीलंका, इसने राजीव गांधी की हत्या की।
(2) जर्मनी :- बादर मीन्होफ गिरोह
(3) इटली :- रेड ब्रिगेड
(4) फ्रांस :- डायरेक्ट एक्शन

Direct Action

- (5) Peru :- सेन्डरो ल्यूमिनेसो

Shinning Path

- (6) जर्मनी :- Red Army Faction
(7) OMEGA – 7- Cuba- Castro विरोधी
(8) Urugue :- National Liberation Movement
(9) निकारागुआ :- कोन्ट्रा
(10) Provisional :- Irish Republican Army.

Peru का सेन्डेरो ल्यूमिनेसो या Shinning Path राज्य आधारित है।

इसका उद्देश्य (1) पेरु को विदेशी शासन से मुक्त करना है।

(2) विद्यमान पेरु की संस्थाओं को नष्ट करना हैं।

(3) तथा इसके स्थान पर कृषक क्रांतिकारी शासन की स्थापना करना है।

भारत में राज्य आधारित आतंकी संगठन नक्सली तथा माओवादी संगठन तथा इनके गठबंधन हैं।

राष्ट्र या Nation आधारित आतंकवाद की विषय वस्तु राष्ट्र या Nation से संबंधित होता है। राज्य आधारित आतंकवाद तथा राष्ट्र आधारित आतंकवाद में अन्तर होता है। माओवादी गुट राज्य आधारित होते हैं। इस्लामिक गुट राष्ट्र आधारित हैं। माओवादी, नक्सलवादी गुट का लक्ष्य माओवाद, नक्सलवाद, मार्क्सवाद आधारित राज्य का गठन

करना है। इस्लामिक आतंकवाद आधारित गुट का लक्ष्य इस्लामिक प्रभुसत्ता वाला राज्य या इस्लामिक शासन वाला राज्य स्थापित करना है।

राष्ट्र आधारित आतंकवादी संगठन है :-

1. सशस्त्र इस्लामिक ग्रुप—यह एक उग्रवादी समूह है जो धर्मनिरपेक्ष अल्जीरियाई सरकार को हटाना चाहता है तथा इसके स्थान पर इस्लामिक राज्य की स्थापना करना चाहता है।
2. **HAMAS** या इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन या **Islamic Resistance Movement** का उद्भव 1987 में मुस्लिम ब्रदरहुड की फिलिस्तीन शाखा से हुआ है। इसका उद्देश्य **Israel** के स्थान पर फिलिस्तीन राज्य की स्थापना करना है।
3. अलकायदा का लक्ष्य अमेरिकियों तथा सामान्य रूप से तथाकथित इस्लाम विरोधियों को नष्ट करना है। इसकी कार्यवाही का क्षेत्र विश्व भर है।
4. जैश—ए—मोहम्मद
5. लश्कर—ए—तैयबा
6. तालिबान
7. हरकत—उल—मुजाहिदीन
8. अस्बत—अल—अंसार—फिलिस्तीन लीग
9. आर्मी ऑफ फिलिस्तीन
10. अबू निडाल
11. हिजबुल्लाह—ईश्वर की पार्टी
यह अतिवादी धार्मिक शिया समूह है। इसका उद्देश्य लेबनान में ईरानी पद्धति से इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना करना है।
12. चेचन्या के इस्लामिक आतंकी संगठन
13. बब्बर खालसा सिख आतंकी संगठन। इसका लक्ष्य पृथक राष्ट्र—राज्य खालिस्तान की स्थापना करना है।
14. कच तथा कहाने चाई :- **Israel** का बाइबिल आधारित राष्ट्र—राज्य का निर्माण करना इसका लक्ष्य है।

गणतंत्र की अवधारणा (Republic)

गणतंत्र एक लोकतांत्रिक अवधारणा है। प्राचीन काल में भी गणतंत्र या **Republic** के उदाहरण मिलते हैं। लेकिन आधुनिक काल की यह एक प्रमुख राजनीतिक प्रक्रिया है तथा विश्वव्यापी है। गणतंत्र की अवधारणा मुख्यतः राज्य से संबंधित है लेकिन राष्ट्र ने आधुनिक युग के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए राज्य से इसे ग्रहण कर लिया है।

राज्य आधारित गणतंत्र :-

इसमें संप्रभुता राज्य में निहित होती है। इसमें संप्रभुता का स्वरूप लोकप्रिय संप्रभुता है।

यहाँ **Check and Balance** का कार्य शक्ति का पृथक्करण करता है। इसके उपकरण विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में शक्ति का विभाजन है। समय के साथ परिवर्तन यहाँ संभव तथा आसान होता है।

राष्ट्र आधारित गणतंत्र :-

इसका उदाहरण मुस्लिम ब्रदरहुड पर आधारित राष्ट्र-राज्य है। इसका उदाहरण ईरान, अफगानिस्तान इत्यादि देश हैं। ईरान इस्लामिक गणतंत्र है। यहाँ संप्रभुता इस्लामिक राष्ट्र में निहित है। यहाँ **Check and Balance** का उपकरण राष्ट्र, धर्मग्रंथ तथा सूरा, मजलिस जैसे संगठन हैं। यह परिवर्तन विरोधी होता है अर्थात् समय के साथ इसमें परिवर्तन संभव नहीं होता।

राष्ट्र आधारित राज्य भी मुख्यतः दो प्रकार होते हैं।

ये हैं—(1) राजतंत्रात्मक राष्ट्र-राज्य, इसका उदाहरण साऊदी अरब है।

(2) गणतंत्रात्मक राष्ट्र-राज्य— इसका उदाहरण ईरान है।

विनायक दामोदर सावरकर :

सावरकर के वैचारिक विकास के दो चरण थे। उनके जीवन के प्रथम चरण में उन पर इटली के जोसेफ मैजिनी के दर्शन का प्रभाव पड़ा, तथा सावरकर ने मिश्रित या संयुक्त भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन किया जो अरविन्द घोष तथा तिलक के राष्ट्रवाद की अवधारणा से बहुत अलग नहीं था। इस अवधि के दौरान उनकी राष्ट्रवाद की अवधारणा में धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परन्तु इस अवधारणा में उन्होंने किसी धार्मिक समुदाय को अपने से अलग नहीं किया। 1923 के बाद अपने जीवन के दूसरे चरण

में सावरकर हिन्दू राष्ट्र के समर्थक हो गये। सावरकर ने पुस्तक लिखी— “हिन्दुत्व, हिन्दु राष्ट्र—दर्शन”। 1937 में कारावास से मुक्त होने के बाद सावरकर हिन्दू महासभा में शामिल हो गए तथा 1938 से 1945 तक इसके अध्यक्ष रहे। सावरकर की विचारधारा क्रमशः राज्य से राष्ट्र की ओर है तथा मात्रात्मक रूप से अधिक राज्य से अधिक राष्ट्र की ओर है।

एम0एस0 गोलवरकर :-

गोलवरकर के अनुसार भारत में दो प्रकार का हिन्दुत्व रहा है। प्रथम प्रकार का हिन्दुत्व नकारात्मक हिन्दुत्व तथा द्वितीय प्रकार का हिन्दुत्व सकारात्मक हिन्दुत्व है।

नकारात्मक हिन्दुत्व मुस्लिम सांम्प्रदायिकता अथवा कांग्रेस की पंथनिरपेक्षता के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित हुआ। इसने नकारात्मक ढंग से दूसरों के बारे में सोचा तथा दूसरों ने इसके बारे में नकारात्मक ढंग से सोचा। अतः उनका मानना था कि हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को मुसलमानों अथवा अंग्रेजों के विरोध में विकसित नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें किसी भी तरह का सकारात्मक अंश नहीं है। जिन नेताओं ने नकारात्मक हिन्दुत्व का अनुशरण किया, वे हिन्दुत्व के कठोर समर्थक रहे। संगठन के कार्य तथा हिन्दुओं के विकास का मुसलमानों से कुछ लेना—देना नहीं है क्योंकि इसने मुसलमानों का विरोध शुरू नहीं किया। गोलवरकर का मत था कि इस अर्थ में उनका हिन्दुत्व सकारात्मक हिन्दुत्व था जो किसी विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित नहीं हुआ।

अतः सकारात्मक हिन्दुत्व का उद्देश्य समाज में एक सामाजिक शक्ति के रूप में हिन्दुओं का संगठन होना चाहिए जो सर्वाधिक कष्टकारक परिस्थितियों में दृढ़निश्चयी तथा अटल बनी रहे। राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति सकारात्मक हिन्दुत्व का उद्देश्य नहीं है क्योंकि इसका विश्वास था कि हमारी सारी समस्याओं को राजनीतिक शक्ति से नहीं सुलझाया जा सकता। अतीत में अनेक ऐतिहासिक साक्ष्य थे जिनसे पता चलता है कि राजनीतिक शक्ति की सहायता से स्थापित बड़े—बड़े साम्राज्य बर्बर आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट कर दिये गए। उदाहरण के लिए रोमन साम्राज्य को हूणों ने मिट्टी में मिला दिया। रोमन साम्राज्य इसलिए नष्ट हो गया क्योंकि उसकी स्थापना राजनीतिक शक्ति की कमजोर नींव पर रखी गई थी। हिन्दुओं ने अपने सामाजिक तथा राजनीतिक संगठनों को बल के आधार पर नहीं बल्कि धर्म के आधार पर बनाया। राजा का सम्मान इतना नहीं था जितना विद्वानों अथवा

संतो का था जो कि धर्म के विशेषज्ञ थे। हिन्दुओं को राष्ट्रीय नवजीवन महान राजाओं ने नहीं बल्कि महान संतो जैसे—शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु या नानक ने दिया था। आधुनिक अर्थ में ऐसी ही भूमिका श्री रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, श्री अरविन्द, दयानंद सरस्वती तथा रामतीर्थ ने निभाया।

समीक्षा :—

रोमन साम्राज्य में रोमन—ग्रीक धर्म तथा संस्कृति से भिन्न धर्म तथा संस्कृति धीरे—धीरे प्रभावी हो गई। रोमन साम्राज्य की बड़ी आबादी धीरे—धीरे ईसाई मत में धर्मान्तरित हो गई। आरोप है कि हूणों तथा गोथों के आक्रमण के समय ईसाईयों ने रोमन साम्राज्य को बचाने में कोई मदद नहीं की। हूणों ने रोमन साम्राज्य को नष्ट कर दिया लेकिन शीघ्र ही ईसाई धर्म ने हूणों पर विजय प्राप्त की तथा हूणों का एवं गोथों का ईसाई धर्म में धीरे—धीरे धर्मान्तरण हो गया। राजनीतिक सत्ता तो बदल गई लेकिन राष्ट्र जीत गया। ईसाई राष्ट्र ने हूणों तथा गोथों पर विजय प्राप्त किया। इसके अलावा रोमन सम्राट **Constantine** प्रथम रोमन सम्राट था जो ईसाई मत में धर्मान्तरित हुआ। राष्ट्र का गुण या विशेषता समामेलन होता है। जैसे—हिन्दू—राष्ट्र ने हिन्दू—यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, हूण, आभीर, गुर्जर इत्यादि सभी को अपने में समाहित कर लिया अर्थात् इन्हें जीतकर इनका अपने में विलय कर लिया तथा अपना विस्तार किया। राष्ट्र उपनिवेश नहीं बनाता। मंगोल विजेताओं ने ईरान, इराक, उजबेकिस्तान इत्यादि इन सभी देशों पर विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन अंततः ये सभी मुसलमान बन गए। इन क्षेत्रों में मुस्लिम राष्ट्र ने इन्हें जीतकर इनका अपने में विलय कर दिया तथा ये इस्लाम के बड़े झंडाबरदार बन गये। ऐसा ही ईसाई राष्ट्र के साथ भी हुआ। ईसाई मत के विस्तार के साथ ही अनेक ईसाई राष्ट्र—राज्यों का निर्माण हुआ। बंगाल में गणेश का पुत्र मुस्लिम बना तथा वह मुस्लिमों द्वारा शासक स्वीकार किया गया।

दूसरी ओर राज्य उपनिवेश बनाता है। राज्य का गुण या विशेषता उपनिवेश बनाना है। अर्थात् यह केवल राज्य का गुण है। लेकिन इसके साथ जुड़ा राष्ट्र का तत्व विलय करता है। जैसे— अंग्रेजों की भारत विजय एक राज्य की विजय है। भारत ब्रिटिश उपनिवेश बना।

भारत का ब्रिटिश विरोधी आन्दोलन उपनिवेशवाद विरोधी आन्दोलन है। इसका लक्ष्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था।

यदि यह राष्ट्रीय आन्दोलन होता तो यह अंग्रेजों का राष्ट्र में विलय करता। दूसरी ओर एक राष्ट्र के रूप में अंग्रेज तथा यूरोपीय ईसाई मिशनरियों ने जनजातीय क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, केरल, गोवा, पूर्वोत्तर भारत इत्यादि क्षेत्रों में लोगों का ईसाई धर्म में धर्मान्तरण किया। यहाँ ईसाई मत में लोगों का धर्मान्तरित होना राष्ट्र में विलय है।

गांधी का नागरिकता के संबंध में विचार –

गांधी के अनुसार “देश के सभी वयस्क महिला, पुरुष चाहे वे भारत में पैदा हो या रहते हो जिन्होंने अपने परिश्रम से राज्य की सेवा की हो जिन्होंने अपने को यहाँ का वोटर पंजीकृत कराया हो आदि के द्वारा चुनी गई सरकार से है”।

समीक्षा :-

लेकिन गांधी के ये विचार राज्य से संबंधित हैं। नागरिकता, सरकार राज्य के तत्व हैं राष्ट्र के नहीं।

गांधी दो अवधारणाओं के कारण भारत को एक राष्ट्र मानते थे।

प्रथम :- भारतीय सभ्यता में विभिन्नताओं तथा बाहुल्यताओं को समन्वित करने की क्षमता है।

समीक्षा— महात्मा गांधी ने उदाहरण तो पाया लेकिन वे राष्ट्र को समझने में विफल रहे क्योंकि ईसाई तथा इस्लाम में भी विलय की अद्भुत क्षमता है।

द्वितीय :- प्राचीन भारत में आचार्यों द्वारा तीर्थों को विभिन्न स्थान पर स्थापित कर भारतीय चेतना का विकास किया गया। प्राचीन भारतीय संस्कृति मूलतः हिन्दू विशेषता वाली थी लेकिन वह गैर हिन्दू मूल्यों तथा विचारों के प्रति भी खुली थी। गांधी ने कहा कि उत्तर में हरिद्वार, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी तीर्थ स्थलों की स्थापना केवल धार्मिक लाभ के लिए नहीं था बल्कि बड़े वृहत् भाग में फैले तमाम हिन्दुओं में सामान्य भारतीयता की चेतना के लिए था। गांधी ने माना कि प्रकृति ने भारत को एक अविभाज्य भूमि प्रदान की है अतः तर्कानुसार भारत एक राष्ट्र था।

समीक्षा :—

गांधी ने स्वराज, नागरिकता तथा राष्ट्र दोनों ही तत्वों को समन्वित कर दिया है। स्वराज तथा नागरिकता राज्य के विचार हैं। राष्ट्र हिन्दू विचार वाला प्राचीन भारत की परिभाषा के अधिक निकट है। लेकिन गांधी ने राज्य की चौहद्दी ब्रिटिशकालीन ही मान लिया है।

जबकि हिन्दू राष्ट्र का विस्तार अधिक बड़े क्षेत्र में था।

अफगानिस्तान भी भारत में शामिल था तथा यहाँ हिन्दूशाही वंश के जयपाल का शासन था। दक्षिण पूर्व एशिया में हिन्दू धर्म का व्यापक प्रसार था। केवल शंकराचार्य के चार मठों की स्थापना ही हिन्दू राष्ट्र नहीं है। हिन्दू-राष्ट्र शंकराचार्य से शुरू नहीं हुआ है और न ही इसकी चौहद्दी विभाजन के पश्चात् के भारत की है। गांधी द्वारा किया गया पूना पैक्ट तथा हरिजन उद्धार के कार्य राष्ट्र से संबंधित हैं तथा श्रेष्ठ हैं जबकि अधिकांश विचार राज्य संबंधी हैं। गांधी इस प्रचलित सोच को नकारते थे कि भारत ब्रिटिश शासन के अधीन एक राष्ट्र बना। वे इस बात को भी नकारते थे कि ब्रिटिशर्स द्वारा पाश्चात्य विचारों को प्रारंभ करने तथा उनके द्वारा रेलवे एवं तार जैसे-आधुनिक संचार सेवाओं को लागू करने से भारत एक राष्ट्र बना। महात्मा गांधी के पूना पैक्ट तथा अछूतोंद्वार के प्रयास राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद से संबंधित हैं। जबकि नागरिकता संबंधी विचार राज्य का सिद्धांत है राष्ट्र का नहीं। कोई व्यक्ति राष्ट्र का सदस्य होता है नागरिक नहीं। नागरिक का संबंध राज्य से होता है राष्ट्र से नहीं। जवाहर लाल नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद, आचार्य नरेन्द्रदेव के विचार, जय प्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति, राममनोहर लोहिया का सप्तक्रांति इत्यादि जैसे प्रायः सभी विचार राज्य से संबंधित हैं। जवाहर लाल नेहरू का आधुनिक भारत के मंदिर संबंधी कथन राष्ट्र पर राज्य के प्रभुत्व की घोषणा है। यह राज्य द्वारा राष्ट्र के विस्थापन का विचार है।

1857 की क्रांति में भारत के शिक्षित वर्ग ने प्रायः भाग नहीं लिया था। उनका मानना था कि अंग्रेज भारत का इंग्लैण्ड जैसा औद्योगिक विकास करेंगे। उनके ये विचार राज्य से संबंधित हैं। कांग्रेस का उदारवादी चरण तथा गांधीवादी चरण राज्य से संबंधित हैं। जबकि उग्रवादियों की प्रेरणा का तत्व राष्ट्र था। दादा भाई नौरोजी का धन की निकासी का सिद्धांत राज्य का सिद्धांत है। यह राष्ट्रवादी आयाम नहीं है। कांग्रेस का स्वतंत्रता

आन्दोलन के दौरान क्रमशः समाजवाद की ओर झुकाव राज्य से संबंधित है। पहले शिक्षित भारतीयों ने 1857 की क्रांति में क्रांति का साथ नहीं दिया। उनका तर्क था कि इंग्लैण्ड भारत का औद्योगिक विकास करेगा। फिर धन की निकासी या **Drain of Wealth** का सिद्धांत दिया गया, फिर क्रमशः समाजवाद की ओर झुकाव हुआ। साम्राज्यवाद तथा पूंजीवाद का नाश करने की बात कही गई। फिर भारत को स्वतंत्रता मिली एवं लोकप्रिय संप्रभुता स्थापित हुई, तत्पश्चात् समाजवाद की ओर प्रगति हुई। 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य का समाजवादी स्वरूप स्थापित किया गया। यह सभी राज्य का सिद्धांत से संबंधित हैं। यह एक राज्य के रूप में भारत का स्वतंत्रता आन्दोलन तथा विकास है। देश भक्ति, **Patriotism**, पितृभूमि, धरतीपुत्र, मातृभूमि, मूल निवासी ये सभी आधुनिक अवधारणाएँ हैं तथा सभी राज्य से संबंधित विचार हैं। पितृभूमि पाश्चात्य विचार है। भूमि राज्य का तत्व है। यदि राष्ट्र का तत्व भिन्न हो या राज्य पर भिन्न राष्ट्र समूह का प्रभुत्व हो या भिन्न-भिन्न अनेक राष्ट्र समूह हों तो देशभक्ति या राज्य के प्रति निष्ठा कमजोर पड़ जाती है तथा अलगाव भी उत्पन्न होता है। राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद मातृभूमि, पितृभूमि इत्यादि से भिन्न है।

इतिहास कार की दृष्टि :-

बिपिन चंद्रा ने लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन ने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम ग्रहण किये। उन्होंने "जवाहर लाल नेहरू का राष्ट्र निर्माण" नामक अध्याय लिखा। इन दोनों ही विचारों में केवल धर्मसुधार तथा समाज सुधार की विषयवस्तु ही राष्ट्र से संबंधित हैं जबकि आर्थिक तथा राजनीतिक पहलू तथा नेहरू का राष्ट्र निर्माण वस्तुतः राज्य से संबंधित हैं। दादा भाई नौरोजी का धन की निकासी का सिद्धांत राज्य का सिद्धांत है यह राष्ट्रवादी आयाम नहीं है। कांग्रेस का स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान क्रमशः समाजवाद की ओर झुकाव राज्य से संबंधित है। पहले शिक्षित भारतीयों ने 1857 की क्रांति में साथ नहीं दिया था। उनका तर्क था कि ब्रिटेन भारत का औद्योगिक विकास करेंगे।

फिर धन की निकासी का सिद्धांत फिर क्रमशः समाजवाद की ओर झुकाव, साम्राज्यवाद तथा पूंजीवाद का नाश फिर स्वतंत्रता तथा लोकप्रिय संप्रभुता के स्थापना, समाजवाद की ओर प्रगति, राज्य का समाजवादी स्वरूप, 1976 42वां संविधान संशोधन यह सभी राज्य

का सिद्धांत है। यह एक राज्य के रूप में भारत का स्वतंत्रता संग्राम तथा विकास है। देश भक्ति या **Patriotism** पितृभूमि से संबंधित है। यह राज्य संबंधी विचार है। भूमि से संबद्धता, धरती पुत्र, राज्य के मूल निवासी ये सभी आधुनिक अवधारणाएँ राज्य से संबंधित हैं। यदि राष्ट्र का तत्व भिन्न हो तो या राज्य पर भिन्न राष्ट्र समूह का प्रभुत्व हो तो देशभक्ति कमजोर पड़ जाती है तथा अलगाव भी उत्पन्न होते हैं। राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद इससे भिन्न है।

1857 की क्रांति :-

S.N. SEN के अनुसार "जो युद्ध धर्मरक्षा के लिए युद्ध के रूप में प्रारंभ हुआ उसने शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर लिया। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि विद्रोही एक विदेशी सरकार को समाप्त करना चाहते थे तथा उस प्राचीन अवस्था को पुनः स्थापित करना चाहते थे जिसमें दिल्ली का राजा ही वास्तविक प्रतिनिधि था"।

S.N. SEN का मूल्यांकन :-

1857 का विद्रोह राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा हेतु प्रारंभ हुआ। राष्ट्र में राज्य का तत्व भी शामिल हुआ अर्थात् ब्रिटिश शासन का अंत तथा अंग्रेजों को बाहर निकालना लक्ष्य था। अर्थात् जो युद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में प्रारंभ हुआ वह शीघ्र ही राष्ट्र-राज्य की स्थापना के संघर्ष में बदल गया। राष्ट्र द्वारा पुनः राज्य की स्थापना का यह संघर्ष था। इसमें राष्ट्र द्वारा राज्य की प्रभुसत्ता की स्थापना का संघर्ष किया गया। राज्य पर ब्रिटिश संप्रभुता का राष्ट्र द्वारा विरोध किया गया। 1857 की क्रांति जहाँ तक धर्म तथा संस्कृति से संबंधित वहाँ तक यह राष्ट्रीय संघर्ष है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस है।

बेंजामिन डिजराइली का कथन :-

डिजराइली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। उनके अनुसार विद्रोह एक आकस्मिक विद्रोह नहीं था। अपितु एक सचेत संयोग का परिणाम था तथा यह एक सुनियोजित तथा सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम था जो अवसर की प्रतीक्षा में था। साम्राज्य का उत्थान तथा पतन चर्बी वाले कारतूस के मामले नहीं होते ऐसे विद्रोह उचित तथा पर्याप्त कारणों के एकत्रित होने से होते हैं।

समीक्षा— राष्ट्र के तत्व धर्म तथा संस्कृति पर आधारित विद्रोह के रूप में प्रायः परिवर्तित हो जाते हैं। मुगल काल में औरंगजेब की धार्मिक नीति, जजिया लगाना, मंदिर तोड़ने के आदेश ने मुगलो के विरुद्ध विद्रोह के कारणों में प्रमुख भूमिका निभाई थी।

R.C Majumdar का मत

1857 का विद्रोह न तो प्रथम नहीं राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था।

मूल्यांकन—विद्रोह में राष्ट्र का तत्व शामिल था। राष्ट्र अर्थात धर्म तथा संस्कृति एवं उसकी संप्रभुता तथा प्रतीक से संबंधित तत्व इसमें शामिल था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रवाद से संबंधित प्रथम संघर्ष था। अतः यह प्रथम यह स्वतंत्रता संग्राम भी था। यह न सिर्फ अंग्रेजों को हराने तथा भारत से भगाने का संघर्ष था बल्कि राष्ट्र की संप्रभुता की पुनर्स्थापना या प्रकटीकरण तथा उसके साथ-साथ राज्य की संप्रभुता की पुनर्स्थापना का प्रयास भी था।

समस्या— **R.C. Majumdar** तथा **S.N. SEN** जैसे विद्वानों द्वारा राष्ट्र तथा राज्य की परिभाषा तथा विशेषताओं का गलत अर्थ लगाना ही समस्या उत्पन्न करता है।

(बिपिन चंद्रा— NCERT) में वर्णित—

British दृष्टिकोण में राष्ट्र तथा धर्म एवं संस्कृति के तत्व की उपस्थिति—

East India Company के अध्यक्ष मैगलज ने **House of Commens** में अपने भाषण में कहा था “दैव संयोग से भारत का विस्तृत साम्राज्य ब्रिटेन को मिला है ताकि ईसाई धर्म की पताका भारत के इस छोर से दूसरे छोर तक फहरा सकें। प्रत्येक व्यक्ति को शीघ्रातिशीघ्र समस्त भारतीयों को ईसाई बनाने के महान कार्य को पूर्णतया सम्पन्न करने में अपनी समस्त शक्ति लगा देनी चाहिए”।

Major Adwards का कथन है “भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है”।

घटनाएँ :-

सैनिकों को यदि वे सत्यधर्म अपना लें तों उन्हें पदोन्नति दिया जाता था। ईसाई धर्म प्रचारकों को प्रर्याप्त सुविधाएँ दी जाती थी। अमेरिकन ईसाई मिशनरी सोसाईटी ने आगरा में एक बहुत भारी मुद्रणालय या प्रिंटिंग प्रेस लगाया था। मूर्ति पूजा को बुरा कहा जाता था। हिन्दू देवताओं का उपहास उड़ाया जाता था। सर सैयद अहमद खॉ ने लिखा है कि

“ऐसा विश्वास किया जाता है कि सरकार ने धर्म प्रचारक नियुक्त कर रखे हैं तथा उनका भरण पोषण अपने व्यय से करती है।

लॉर्ड शेफ्टसबरी के अनुसार भारत को ईसाई बनाने में असमर्थता ही इस समस्त झगड़े का मूल कारण है।

1850 में पारित किये गए धार्मिक अयोग्यता अधिनियम द्वारा हिन्दू रीतिरिवाज में परिवर्तन लाया गया ताकि धार्मिक परिवर्तन से पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सके। इस कानून का मुख्य लाभ ईसाईयों को था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बीवाला कारतूस था।

लॉर्ड शाफ्टसबरी के विचारों का मूल्यांकन—

यथार्थ में अंग्रेजों द्वारा राज्य की प्रभुसत्ता का हरण तो हुआ था लेकिन राष्ट्र की प्रभुसत्ता के हरण या धर्मान्तरण के प्रयास तथा उस पर आघात के कारण 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ।

निष्कर्ष :—

1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह राष्ट्र—राज्य का विद्रोह था।

सिखों के विरुद्ध पंजाब में बहावी आन्दोलन हुआ यद्यपि इसका क्षेत्र व्यापक था।

बहावी आन्दोलन अंग्रेजों या ईसाईयों के विरुद्ध भी था। बहावी आन्दोलन एक इस्लामिक राष्ट्रीय संघर्ष था। इसका लक्ष्य एक राष्ट्र—राज्य अर्थात् दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम की स्थापना करना था।

संप्रभुता के प्रकार :—

उपराष्ट्रिक, संजातीयता या **Ethnic** एक नई अवधारणा है। नस्ल, **Race**, प्रजाति, नई अवधारणा है। यह उपराष्ट्रिक इसलिए है क्योंकि यदि समान नस्ल भी हो या भिन्न नस्ल हो तो भी उसके ऊपर राष्ट्र ही संप्रभुता का निर्माण करता है। जैसे—तुर्की की आबादी है। पूर्वी रोमन साम्राज्य पर तुर्की की विजय के पश्चात् बड़ी संख्या में रोमन ईसाईयों का धर्मान्तरण हुआ। वर्तमान में सभी की पहचान इस्लाम ही है। सऊदी अरबिया, जार्डन, सीरिया, इजिप्त इत्यादि देशों में रोमन, ग्रीक तथा अन्य समूहों की आबादी भी थी। इस्लामिक विजय से पूर्व इनपर ईसाई, राष्ट्र की विजय हुई वर्तमान में इन सभी का

इस्लाम राष्ट्र में विलय हो गया है। ईरान की पूर्व आबादी पारसी थी। बाद में मंगोल भी आए। वर्तमान में ये सभी समूह या राष्ट्र मुसलमान हैं।

पाकिस्तान में जाट मुस्लिम, गुर्जर मुस्लिम, मारवाड़ी मुस्लिम भी मिलते हैं। मारवाड़ी मुस्लिम की कराची में बड़ी आबादी है। वर्तमान में ये सभी एक राष्ट्र इस्लाम के सदस्य हैं। आपसी संघर्ष में भले ही पृथक राज्य का निर्माण विभिन्न समूह कर लें लेकिन इनका मूल स्वरूप इस्लामिक राष्ट्र या ईसाई राष्ट्र होता है। इसका उदाहरण इस्लामिक राष्ट्र पर आधारित दो देश पाकिस्तान तथा बांग्लादेश है। जमायते इस्लामी संगठन तीनों राज्यों या देशों भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में सक्रिय है। हिटलर का नस्ल का सिद्धांत नाजीवाद का एक प्रमुख तत्व था। लेकिन जर्मनी में रहने वाले वे लोग जो हजारों, सैकड़ों वर्ष पहले ईसाई हो गए थे उन पर यह लागू नहीं होता था।

राष्ट्र के स्वरूप में परिवर्तन करने के लिए **Demographic Change** या जनांककीय परिवर्तन किया जाता है। जैसे कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार तथा धर्मान्तरण किया गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान में सिखों, हिन्दुओं, बौद्धों तथा ईसाइयों तथा अन्य समूहों का नरसंहार तथा धर्मान्तरण किया गया। चीन तिब्बत तथा सिंजियांग प्राप्त में हानवंशियों को बसा रहा है। म्यांमार में रोहिंग्याओं ने बौद्धों का संजातीय संहार किया। प्रतिक्रिया स्वरूप म्यांमार में रोहिंग्याओं का बौद्धों द्वारा संजातीय संहार हुआ। असम के सीमावर्ती इलाके धुबरी तथा राज्य के अन्य क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार के मुख्यतः सीमांचल, चंपारण, नेपाल में जनांककीय परिवर्तन बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा किया गया है। राष्ट्र में परिवर्तन से एक संप्रभुता का विस्थापन तथा दूसरी संप्रभुता की स्थापना होती है।

धार्मिक इमारत की संरचना, खानपान, पोशाक जैसे तत्व राष्ट्र का निर्माण नहीं करते हैं। राष्ट्र का निर्माण करने वाला तत्व दर्शन, इतिहास होता है, यही ऐतिहासिक क्रम का निर्धारण करता है तथा आपसी संघर्ष बनाए रखता है और अन्तर बनाए रखता है।

कुछ लेखन तथा **T.V Debates** में यह अवधारणा बनायी जा रही है कि विभाजन के बाद जो राष्ट्रवादी थे या देशभक्त थे वे मुसलमान भारत में रह गए तथा जो हिन्दू पाकिस्तान तथा बांग्लादेश छोड़कर भारत चले आए वे भारतीय नहीं हैं या देश भक्त नहीं हैं।

इस तर्क का आधार हर्डर आधारित राष्ट्रवाद या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। यहाँ भूमि, जन्म तथा संस्कृति से जोड़कर राष्ट्र की अवधारणा का निर्धारण करने का प्रयास किया गया है। ये आरोप कश्मीर से पलायन करने वाले कश्मीरी पंडितों पर भी लगाए गए हैं। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि Habib Nizami ने लिखा है कि सालार मसूद गाजी के मारे जाने के बाद उसकी मजार पर अनेक मुस्लिमान 150 वर्षों तक अर्थात् पीढ़ियों तक रहे तथा इंतजार किया। फिर भारत पर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया तथा 1192 में जीत प्राप्त की। बाद में धर्मान्ध फिरोज शाह तुगलक ने बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे की धार्मिक यात्रा की। इसी प्रकार अफजल खॉ की कब्र की रक्षा करने वाले लोगों का भी समाचार पत्रों में उल्लेख मिलता है।

शिवसेना की स्थिति :-

शिवसेना की विचारधारा में दो भिन्न तत्व दिखाई देते हैं। शिवसेना ने हिन्दुत्व की अवधारणा में अर्थात् राष्ट्र की अवधारणा में राज्य की अवधारणा को जोड़ दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना ने भूमिपुत्र आंदोलन चलाया तथा मराठी भाषा एवं अस्मिता को जोड़ा। इस आधार पर उन्होंने उत्तर भारतीयों का विरोध किया। दक्षिण भारतीय, गुजराती तथा उत्तर भारतीयों का विरोध करने के कारण उनका जनाधार या जन समर्थन का विस्तार नहीं हुआ। इनकी तुलना में BJP का जनाधार बढ़ता गया। शिवसेना की तुलना में AIMIM की विचारधारा मुस्लिम आधारित रही। AIMIM की आधार भूमि औरंगाबाद है। स्वतंत्रता के बाद औरंगाबाद तथा बंबई जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी में वृद्धि हुई। बंगलादेशी घुसपैठियों की जनसंख्या में वृद्धि का उल्लेख मिलता है। बंबई के आजाद मैदान में सभा एक बड़ी घटना थी। हाजी अली दरगाह भी बंबई क्षेत्र में ही है। मुस्लिम राष्ट्र की व्यापकता का इस बात से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से बंबई आए लोग भी लंबे समय तक मंत्री रहे हैं। AIMIM ने मुसलमानों पर ध्यान केन्द्रित किया तथा बाहर सहित कहीं से भी आने वाले मुसलमानों का स्वागत किया। परिणामतः AIMIM का जनाधार बढ़ा।

यह तर्क दिया जाता है कि भारत आने वाले मुसलमान विजेता भारत आए तथा भारत में ही रहे, जो धन खर्च किया भारत में ही किया जबकि अंग्रेज भारत से धन लूट कर ले

गए। बिपिन चंद्रा ने लिखा है कि अंग्रेजों से पहले बुरी से बुरी भारतीय सरकारों ने भी जनता से चूसी गई दौलत का उपयोग देश के अंदर ही किया था।

चाहे उन्होंने इस धन को सिंचाई की नहरें या ट्रंक रोड बनाने पर खर्च किया, महल, मंदिर या मस्जिद बनाने में लगाया, युद्धों तथा विजयों के लिए उसका उपयोग किया या व्यक्तिगत भोगविलास में उसे उड़ाया, मगर वह धन अंततः भारतीय उद्योग तथा व्यापार को ही प्रोत्साहित करता था तथा भारतीयों को रोजगार देता था। इसका कारण यह था कि विदेशी विजेता जैसे कि मुगल भी जल्द ही भारत में बस गए तथा उन्होंने इसी को अपना घर बना लिया। पर अंग्रेज हमेशा विदेशी ही बने रहें।

समीक्षा :-

यहाँ बिपिन चंद्रा ने राष्ट्र तथा राज्य के तत्व दोनों को मिला दिया हैं। इस्लामिक आक्रमण द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्र की संप्रभुता का हरण हुआ। भारत पर इस्लामिक राष्ट्र की संप्रभुता या **Sovereignty** स्थापित हुई। धन का अंतरण इस्लामिक राष्ट्र के सदस्यों को हुआ। धन, संपत्ति तथा महिलाओं सभी का अंतरण इस्लामिक राष्ट्र को हुआ। भारत में इस्लामिक राष्ट्र-राज्य की स्थापना हुई। जबकि भारत पर ब्रिटिश विजय राज्य द्वारा राज्य पर विजय रही, भारत राज्य की संप्रभुता का हरण हुआ। तथा राज्य से अन्य राज्य को धन की निकासी हुई।

भारत में राष्ट्र का संघर्ष अभी भी जारी है। इसका उदाहरण लवजिहाद तथा धर्मान्तरण है तथा इसके विरोध में लवजिहाद तथा धर्मान्तरण विरोधी कानून बनाए जा रहे हैं।

प्राचीन काल में ही यूरोप में विभिन्न कबीलों अर्थात् संजातीय समूहों या उपराष्ट्रिक समूहों ने अपने राज्यों की स्थापना की। नॉर्मन, नार्डिक, मोंग्यार, फ्रेंक, जर्मन, स्लॉव, पोल, फिन इत्यादि इसके उदाहरण हैं। इनमें से एक राज्य फ्रांस भी था। फ्रांस की स्थापना जर्मन समूह के सदस्य फ्रेंक या फ्रेंकिश लोगों ने की जिनके नाम पर यह राज्य फ्रांस कहलाया।

फ्रांस फ्रेंक **Tribe** का देश या राज्य है अर्थात् फ्रेंक कबीला के लोगों की भूमि है।

नेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द **Nat** से हुई है जिसका अर्थ है जन्म। लैटिन से यह शब्द फ्रेंच भाषा में फिर इंग्लिश में आया। फ्रांस में नेशनल एसेम्बली थी जो फ्रेंच भाषा के नेशन शब्द से संबंधित थी जिसका अर्थ था इस देश के लोग या **The People**

of this Country। जबकि फ्रांस में वर्ग या Class के लिए Estate शब्द प्रयुक्त होता था। यहाँ Nation में संप्रभुता फ्रेंक Tribe के लोगों की थी जो एक ही प्रकार का संजातीय या उपराष्ट्रिक समूह था। फ्रांस एक Single Nation State था। यह एकल कबीला का Linage या वंशक्रम था। एक ही Tribe या कबीला के सदस्य जन्म से इसके सदस्य थे। यहाँ फ्रांस राज्य या भूमि आधारित संप्रभुता से यह संबद्ध था। फ्रांस की 1789 की क्रांति एक वर्गीय या Estate क्रांति थी जो मध्यवर्गीय क्रांति थी जिससे सत्ता एवं नेशनल एसेम्बली के स्वरूप में परिवर्तन हुआ।

भारत में राजनेताओं, इतिहासकारों, विद्वानों ने Nation शब्द फ्रांस से ग्रहण कर लिया। भारत में राष्ट्र या Nation शब्द को फ्रेंच Born या जन्म शब्द के समान माना। अर्थात् भारतीय राष्ट्र का अर्थ है— जिसका जन्म भारत भूमि में हुआ है।

फ्रांस से अंतर :-

फ्रांस में नेशन में एक ही कबीला फ्रेंक के सदस्य थे अर्थात् फ्रांस एकल राष्ट्र फ्रेंक Ethenic या संजातीय या उपराष्ट्रिक लोगों का समूह है। संप्रभुता फ्रेंक लोगों में निहित है जिन्होंने राज्य का निर्माण किया है तथा उनसे फ्रांस राज्य की संप्रभुता की उत्पत्ति हुई है। यह एक एकल राष्ट्र-राज्य था। यहाँ दो भिन्न संप्रभुता राष्ट्र तथा राज्य का एकीकरण हुआ।

जबकि भारत एक बहुल राष्ट्र-राज्य था या है। बहुल राष्ट्र-राज्य में बहुत से राष्ट्र हैं। सभी राष्ट्र में जन्म लेने वाले या धर्मान्तरित लोग, इन सभी लोगों या राष्ट्रों की अपनी-अपनी संप्रभुता है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्रांस में The People of this Country या इस देश के लोग संबंधी एकल राष्ट्र फ्रांस की परिभाषा को उठा लिया गया, फिर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भारत के सभी लोगों के लिए इसे मान लिया गया।

गांधी का नागरिकता संबंधी विचार या नागरिकता का स्वरूप इसी पर आधारित है।

1857 की क्रांति का विश्लेषण भी कुछ विद्वानों ने इसी आधार पर किया है।

आज भी एक देश या एक भूमि में जन्में लोगों को भारत में एक राष्ट्र मानने की भ्रामक अवधारणा के आधार पर इतिहासकार, राजनेता, लेखक अपना अध्ययन तथा लेखन कर रहे हैं।

संपूर्ण सरकारी लेखन का आधार यही है।

किसी राज्य के विघटन के कारक तत्व।

किसी राज्य के विघटन के अनेक कारण हो सकते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

प्रथम :- विचारधारा में भिन्नता का उत्पन्न होना—

किसी राज्य में विचारधारा में भिन्नता उत्पन्न होने से नये राज्य का गठन एवं निर्माण होता है। जैसे—साम्यवाद तथा पूंजीवाद संबंधी विचारधारा में अंतर के कारण विश्व में अनेक राज्यों का निर्माण हुआ। इसके उदाहरण हैं— उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया, उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम, इरीट्रिया तथा इथोपिया।

द्वितीय :- राष्ट्र में परिवर्तन या भिन्नता होने से भी किसी राज्य का विघटन हो जाता है तथा नये राज्य का निर्माण हो जाता है। जैसे— भारत से पाकिस्तान का अलग होना।

इंडोनेशिया से पृथक होकर पूर्वी तिमोर नामक नये राज्य का निर्माण हुआ है।

तृतीय—उपराष्ट्रिक या संजातीय समूहों के प्रभावी होने से भी नये राज्यों का निर्माण होता है। जैसे—रूस का विघटन हुआ तथा उक्रेन, जार्जिया, बेलारूस जैसे अनेक नये राज्य बनें।

चतुर्थ—अनेक बार पहले उपराष्ट्रिक या संजातीयता का निर्माण होता है तथा उसके आधार पर पृथक राज्य की मांग की जाती है। जैसे—पहले द्रविड़ संकल्पना ने जन्म लिया फिर पृथक राष्ट्र—राज्य द्रविड़नाडु की मांग की गई। इसमें पहले उपराष्ट्रिक का निर्माण किया गया फिर द्रविड़नाडु की मांग की गई।

पंचम् :- जब किसी राष्ट्र के भीतर से ही नये राष्ट्रों की उत्पत्ति होने लगे तो इससे नये राष्ट्र—राज्य के निर्माण की मांग उठने लगती है। किसी राष्ट्र के भीतर ही नये राष्ट्र की उत्पत्ति एवं विकास होने में राजनीतिक कार्यों, आवश्यकताओं तथा इसके अनुरूप लेखन की बड़ी भूमिका होती है।

जैसे बौद्धों को हिन्दू धर्म से अलग माना जाने लगा। भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही सिखों को हिन्दू धर्म से पृथक मानने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। सिखों को हिन्दू धर्म से पृथक मानने से धीरे-धीरे खालिस्तान की मांग जोड़ पकड़ने लगी। खालिस्तान एक पृथक राष्ट्र-राज्य सिख राष्ट्र-राज्य की मांग है। अव लिंगायत तथा सरना धर्म कोड की भी मांग होने लगी है। इसका राजनीतिक पूर्वानुमान यह है कि निकट भविष्य में ये लिंगायत राष्ट्र तथा सरना राष्ट्र नामक पृथक राष्ट्र-राज्य की मांग करेंगे।

टिप्पणी :-

यह पुस्तक प्राथमिक स्रोत के रूप में लिखी गई है। इसके आधार पर शोधकर्त्ताओं को आगे शोध करना चाहिए। ताकि राजनीतिक पूर्वानुमान लगाया जा सके। आज सामाजिक विज्ञान में अधिकांश क्षेत्र में शोध की प्रकृति इस प्रकार हो रही है—

पहले निगमनात्मक पद्धति → फिर आगमनात्मक पद्धति अर्थात् तथ्यों का अवलोकन → आँकड़ों का संकलन → मूल्यांकन → सामान्यीकरण।

चूँकि प्राथमिक अवधारणा ही प्रायः गलत होती है अतः आगे सभी शोध कार्य व्यर्थ हो जाता है तथा स्थापित सामान्यीकरण यथार्थ से मेल नहीं खाता है।

यह पुस्तक प्राथमिक स्रोत के रूप में राष्ट्र तथा राज्य एवं उनकी संप्रभुता को बतलाता है तथा मैक्समूलर, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, रामचंद्र शुक्ल, रमेशचंद्र मजूमदार, एस0एन0सेन जैसे विद्वानों की प्राथमिक स्थापना का खंडन करता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूचि :-

1. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी
2. **Merriam-Webster** डिक्शनरी
3. हबीब निजामी—दिल्ली सल्तनत
4. ए०एल० बाशम—अदभुत भारत
5. मजूमदार, रायचौधरी, दत्त— भारत का बृहत इतिहास
6. के०सी० श्रीवास्तव—प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति
7. सुमित सरकार— आधुनिक भारत ।
8. बी०एल० ग्रोवर तथा यशपाल ग्रोवर— आधुनिक भारत का इतिहास ।
9. प्राचीन भारत का इतिहास—झा, श्रीमाली
10. हरिश्चन्द्र वर्मा—मध्यकालीन भारत ।
11. अचार्य रामचंद्र शुक्ल—हिन्दी साहित्य का इतिहास
12. बिपिन चंद्रा—आधुनिक भारत (NCERT)
13. बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, क.न. पानिकर, सुचेता महाजन—भारत का स्वतंत्रता संघर्ष ।
14. बिपिन चंद्रा—आजादी के बाद भारत 1947 – 2004
15. डॉ नागेन्द्र—हिन्दी साहित्य का इतिहास
16. मिश्रा एवं पाण्डेय—हिन्दी साहित्य का इतिहास
17. सतीशचंद्रा—मध्यकालीन भारत (NCERT)
18. सतीश चंद्रा—मध्यकालीन भारत (सल्तनत से मुगल तक)
19. सावरकर—हिन्दुत्व, हिन्दू राष्ट्र दर्शन
20. समाचार पत्र—हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण
21. टी०वी० चैनल—न्यूज रिपोर्टस्— Zee News, ND TV Etc.
22. **Wiki Pedia.**
23. गोलवरकर—बंच ऑफ थॉट्स
24. गांधी— हिन्दू स्वराज, सम्पूर्ण वांगमय

25. टैगोर— स्वदेशी समाज

26. इतिहास तथा राजनीति विज्ञान, हिन्दी साहित्य (NCERT BOOKS)

27. IGNOU - e-Content, Content (M.P.S.-001, M.P.S-004,M.P.S.E-007,
M.P.S.E-008, M.P.S.E-004 तथा सभी)

28. नालन्दा विश्वविद्यालय पत्राचार **Content.**

29. एण्डरसन बेनेडिक्ट—इमैजिन्ड कम्युनिटीज

30. हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास (NCERT CLASS-12th)

31. रोमिला थापर— प्राचीन भारत

नोट :- किसी भी विवाद का न्यायक्षेत्र कटिहार रहेगा।